

परिशिष्ट



परिशिष्ट-1.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.1.9.1; पृष्ठ 5)

ले प्र में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 मार्च 2017 को लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि
सिविल/सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ)	2000-01	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	23.06.2003	22.09.2003
		कृषि विभाग	01		
		सिंचाई विभाग	01		
		पर्यावरण विभाग	01		
		वित्त विभाग	01		
	2002-03	सिंचाई विभाग	01	12.01.2005	11.04.2005
		वित्तीय एवं समाज कल्याण विभाग	01		
	2003-04	सिंचाई विभाग	01	05.10.2005	04.01.2006
		पंचायती राज विभाग	01		
	2004-05	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	19.04.2006	18.07.2006
		लो नि वि	01		
	2005-06	चिकित्सा विभाग	01	27.06.2007	26.09.2007
		खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
	2006-07	पेय जल विभाग	01	07.03.2008	06.06.2008
		सूचना विभाग	02		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
	2007-08	शहरी विकास विभाग	01	13.07.2009	12.10.2009
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		सूचना एवं लोक संपर्क विभाग	01		
	2008-09	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	02	22.09.2010	21.12.2010
		राजस्व विभाग	01		
		ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	01		
		ऊर्जा विभाग (पी. पी. पी)	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
	2009-10	पर्यटन विभाग	01	29.03.2011	28.06.2011
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
उत्तराखण्ड पेयजल निगम		02			
2010-11	लो नि वि	03	11.12.2012	10.03.2013	
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01			
	पुलिस विभाग	01			
	पशुपालन विभाग	01			
	आयुष विभाग	01			
2011-12	निर्वाचन विभाग	01	18.09.2013	17.12.2013	
	श्रम विभाग	01			
	महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	01			
	समाज कल्याण विभाग	02			
	खेल विभाग	01			
	उच्च शिक्षा विभाग	01			
	लो नि वि	02			
	उद्यान विभाग	01			

		ग्राम्य विकास विभाग	01		
2012-13	27.11.2014	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	26.02.2015	
		सिंचाई विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	02		
		पेयजल विभाग	01		
2013-14	03.11.2015	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	01	02.02.2016	
		डेयरी विकास विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		मुख्य मन्त्री कार्यालय	01		
		पेयजल विभाग	01		
		रेशम उत्पादन विभाग	01		
		समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		उत्तराखण्ड नवीकरण उर्जा विकास एजेंसी	01		
भूविज्ञान एवं खनन विभाग	01				
2014-15	07.11.2016	शिक्षा विभाग	01	06.02.2017	
		प्राथमिक शिक्षा विभाग	01		
		कृषि विभाग	01		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
		संस्कृति विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		औद्योगिक विकास विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
		लो नि वि	03		
		राजस्व विभाग	01		
		समाज कल्याण विभाग	01		
2015-16	02.05.2017	प्राथमिक शिक्षा विभाग	01	01.08.2017	
		गृह विभाग	01		
		आयुष विभाग	01		
		आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक	01		
		वन विभाग	02		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		उद्यान विभाग	01		
		भू-राजस्व विभाग	01		

		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	03		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		पर्यटन विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	02		
राज्य वित्त	2000-01	वित्त और विविध	सभी अध्याय	23.06.2003	22.09.2003
	2001-02	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.07.2004	18.10.2004
	2002-03	वित्त और विविध	सभी अध्याय	12.01.2005	11.04.2005
	2003-04	वित्त और विविध	सभी अध्याय	05.10.2005	04.01.2006
	2004-05	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.04.2006	18.07.2006
	2005-06	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.06.2007	26.09.2007
	2006-07	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.03.2008	06.06.2008
	2007-08	वित्त और विविध	सभी अध्याय	13.07.2009	12.10.2009
	2008-09	वित्त और विविध	सभी अध्याय	22.09.2010	21.12.2010
	2009-10	वित्त और विविध	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	वित्त और विविध	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015
	2013-14	वित्त और विविध	सभी अध्याय	03.11.2015	02.06.2016
	2014-15	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.11.2016	06.02.2017
	2015-16	वित्त और विविध	सभी अध्याय	02.05.2017	01.08.2017
जिला नैनीताल	2011-12	विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015

परिशिष्ट-1.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.4; पृष्ठ 10)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	अहबाबनगर मल योजना, हरिद्वार
2.	त्रिवेणी घाट मल योजना
3.	तपोवन क्षेत्र में 3.5 एम एल डी म शो सं एवं मल प्रणाली
4.	1.4 एम एल डी म शो सं, देवप्रयाग
5.	पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, देवप्रयाग
6.	अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि), देवप्रयाग
7.	गंगोत्री में 1 एम एल डी म शो सं एवं मल योजना
8.	68 एम एल डी म शो सं जगजीतपुर
9.	14 एम एल डी म शो संयंत्र, सराय
10.	अ एवं वि, जगजीतपुर, हरिद्वार
11.	अ एवं वि, सराय, हरिद्वार
12.	अ एवं वि के साथ म शो सं, रुद्रप्रयाग
13.	अ एवं वि के साथ म शो सं मुनि की रेती
14.	अ एवं वि के साथ म शो सं गोपेश्वर
15.	ज्ञानसू म शो सं उच्चिकरण
16.	3.5 एम एल डी श्रीनगर उच्चिकरण
17.	अ एवं वि और म शो सं ऋषिकेश
18.	अ एवं वि और म शो सं कर्णप्रयाग
19.	अ एवं वि और म शो सं कीर्तिनगर
20.	देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
21.	रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
22.	कर्णप्रयाग से विष्णुप्रयाग तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
23.	उत्तरकाशी से मनेरी तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास

## परिशिष्ट-1.2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.8.1(अ); पृष्ठ 19)

## लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नावली निर्धारित की गयी थी:

- व्य घ शौ का स्थान;
- पानी की उपलब्धता;
- व्य घ शौ के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी तकनीकी सहायता;
- सीवर लाइन का संयोजन;
- सम्पूर्ण स्वच्छता को बनाए रखना;
- निर्मित व्य घ शौ की गुणवत्ता;
- शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सू शि सं गतिविधि आदि।

भौतिक सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों से निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त की गयी थीं:

- क्या व्य घ शौ घर के अंदर या बाहर स्थित है?
- क्या व्य घ शौ में पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
- व्य घ शौ में गड्ढे और शौचालय को बनाने के लिए किससे तकनीकी सहायता मांगी गयी थी?
- व्य घ शौ के निर्माण की गुणवत्ता(अच्छा/बहुत अच्छा/खराब/बहुत खराब)।
- क्या व्य घ शौ मल बहाव हेतु किसी नाले से जुड़ा है?
- क्या गाँव ने सभी प्रकार की स्वच्छता को बनाए रखा है?
- क्या स्वच्छ गंगा हेतु उपयोगकर्ता को शौचालयों की आवश्यकता को समझने और बढ़ावा देने के लिए किसी भी सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) गतिविधियों को अपनाया गया था?

परिशिष्ट-1.2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.9; पृष्ठ 29)

उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा परिणाम का विवरण

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष								
1.	क्या हरिद्वार एवं ऋषिकेश में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के निर्णय की तिथि (अर्थात 02 दिसम्बर 2016) के तीन माह के अंदर इन दोनों नगरों के मल शोधन संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि की गयी?	<p>ऋषिकेश में एक म शो सं और हरिद्वार में तीन म शो सं स्थित हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश का सीवेज लोड क्रमशः 107.2 एम एल डी और 16 एम एल डी है जिसके सापेक्ष आतिथि में 63 एम एल डी एवं 6 एम एल डी शोधित किया जा रहा है। इन नगरों का शेष सीवेज क्रमशः 44.2 और 10 एम एल डी बिना शोधन के ही नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में एक 40 एम एल डी शोधन क्षमता का म शो सं जगजीतपुर, हरिद्वार के लिए स्वीकृत किया गया था परंतु उसे मार्च 2016 में निरस्त कर दिया गया और रा स्व गं मि के आदेशों पर मार्च 2017 में 68 एम एल डी और 14 एम एल डी क्षमता के नए म शो सं स्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार, ऋषिकेश में पूर्व स्थापित म शो सं की शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए मार्च 2017 में 26 एम एल डी शोधन क्षमता का म शो सं स्वीकृत किया गया। इन म शो सं को पूर्ण करने के लिए 24 माह की समय सीमा दी गयी है। आज की तिथि तक, निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया गतिमान है।</p> <p>आगे जगजीतपुर में वर्तमान में स्थित 27 एम एल डी क्षमता के म शो सं का उच्चोकरण और सराय, हरिद्वार में 18 एम एल डी म शो सं का त्रिस्तरीय शोधन भी स्वीकृत किया जा चुका है।</p>								
2.	क्या 21 दिसम्बर 2015 को उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि (बी एच ई एल) ने 11 एम एल डी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित कर दिया है?	<p>अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि बी एच ई एल-हरिद्वार म शो सं स्थापित किए जाने के संबंध में विभिन्न विधिक प्राधिकारियों से किए गए वादों या आदेशों का पालन करने में विफल रहा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>आदेश की तिथि</th> <th>विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 दिसम्बर 2015</td> <td>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।</td> </tr> <tr> <td>2 दिसम्बर 2016</td> <td>उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।</td> </tr> <tr> <td>17 मार्च 2017</td> <td>उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।</td> </tr> </tbody> </table> <p>बी एच ई एल ने अवगत कराया (जून 2017) कि न्यायालय के आदेश की तिथि (17 मार्च 2017) से नौ महीने के भीतर म शो सं को स्थापित किए जाने के सतत प्रयास प्रक्रिया में थे।</p>	आदेश की तिथि	विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण	10 दिसम्बर 2015	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।	2 दिसम्बर 2016	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।	17 मार्च 2017	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।
आदेश की तिथि	विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण									
10 दिसम्बर 2015	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।									
2 दिसम्बर 2016	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।									
17 मार्च 2017	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।									
3.	क्या न्यायालय के निर्णय की तिथि (अर्थात 02 दिसम्बर 2016) के छः माह के अंदर गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित सभी	<p>स्थिति निम्नवत है:</p> <p>अ आठ<sup>1</sup> जलविद्युत परियोजनाओं ने म शो सं स्थापित कर लिया है।</p> <p>ब छः<sup>2</sup> जलविद्युत परियोजनाएं सेप्टिक टैंकों/सोक पिटों का प्रयोग कर रही हैं।</p>								

<sup>1</sup> विष्णुप्रयाग, सिंगलोई भटवारी, श्रीनगर, कोटेश्वर, टिहरी, मनेरी भाली II, बिरही गंगा एवं भिलंगना III।

<sup>2</sup> वनाला, राजवाक्ती, गंगनानी, बड़यार, भिलंगना एवं देवल।



क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
	21 जलविद्युत परियोजनाओं ने निर्माण चरण व उसके पश्चात, परिचालन चरणों के दौरान उचित क्षमता के मल शोधन संयंत्रों को स्थापित किया है?	स एक <sup>3</sup> जलविद्युत परियोजना वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा में बह गयी। द छः <sup>4</sup> जलविद्युत परियोजनाओं ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया।
4.	क्या न्यायालय के निर्णय की तिथि (02 दिसम्बर 2016) के तीन माह के भीतर रा स्वा गं मि द्वारा जगजीतपुर में 40 एम एल डी क्षमता का मल शोधन संयंत्र स्थापित कराया गया है?	एक 68 एम एल डी क्षमता का नया म शो सं मार्च 2017 में स्वीकृत किया गया था तथा कार्य को निविदा दाता को सौंपा जा चुका है। कार्य चौबीस माह (अर्थात मार्च, 2019) में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5.	उ प नि प्र नि बो द्वारा 180 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।	<ol style="list-style-type: none"> <li>180 दोषी इकाइयों, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, में से 109 मामलों में दिसम्बर 2015 और मई 2017 के मध्य नोटिस निरस्त कर दिये गए थे।</li> <li>109 दोषी इकाइयों में से 67 इकाइयों ने उ प नि प्र नि बो के निर्देशों का अनुपालन किया। जबकि 42 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 68 से क्रम सं.109) दोषी इकाइयों ने न तो कारण बताओ नोटिस पर अपना अनुपालन प्रस्तुत किया और न ही कारण बताओ नोटिस में निर्धारित समय के अंदर अनुपालन को देखने के लिए उ प नि प्र नि बो से निरीक्षण हेतु संपर्क किया। आगे, इन इकाइयों को दिये गए कारण बताओ नोटिस की अनुपालन अवधि, जैसा कि इन इकाइयों को जारी कारण बताओ नोटिस में दर्शाया गया है, समाप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इन इकाइयों का निरीक्षण किया गया एवं उनके सुझावों के आधार पर उ प नि प्र नि बो द्वारा कारण बताओ नोटिस निरस्त कर दिये गए थे।</li> <li>शेष 71 मामलों में से 32 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 110 से क्रम सं. 141) दोषी औद्योगिक इकाइयों को, अनुपालन न करने के कारण, बंद करने के नोटिस जारी किए गए थे। तीन मामलों (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रमांक 142 से 144) में इकाइयों स्वतः बंद हो गयीं थीं और 32 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 145 से 176) मामलों में दोषी इकाइयों और उ प नि प्र नि बो के मध्य पत्राचार अभी भी चल रहा था। उ प नि प्र नि बो द्वारा चार इकाइयों (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 177 से क्रम सं. 180) की फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थीं।</li> <li>हरिद्वार जिले में स्थित 16 (जैसा कि परिशिष्ट-1.2.5 में दिया गया है) बंद घोषित इकाइयों में से पाँच इकाइयों<sup>5</sup> की नमूना जाँच की गयी थी। सभी पाँच इकाइयां बंद पायी गयीं।</li> </ol>
6.	44 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें उ प नि प्र नि बो द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, के परिचालन की स्थिति।	<ol style="list-style-type: none"> <li>44 बंदी नोटिसों में से, 23 नोटिसों को निरस्त कर दिया गया था (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 23), जिसमें एन जी टी के आदेशों के अंतर्गत परिचालित इकाई का एक मामला सम्मिलित है।</li> <li>17 मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 24 से क्रम सं. 40), जिसमें दोषी इकाइयों को उ प नि प्र नि बो द्वारा बंद घोषित कर दिया गया था, में से 11 मामलों में बंदी हेतु की गयी कार्यवाही के साक्ष्य उपलब्ध थे (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 24 से क्रम सं. 34) जबकि, शेष छः मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 35 से क्रम सं. 40) बंदी नोटिस जारी</li> </ol>

<sup>3</sup> हनुमान गंगा विस्तार II।

<sup>4</sup> झालाकोटी, ककोरा गाड, जालंधरी गाड, सियानगाड, मेलखेत एवं नायर वैली परियोजना।

<sup>5</sup> मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज़, पीठ बाजार, बहादुराबाद; मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन्स, बहादुराबाद; मैसर्स होटल पोलेरिस रेस्टोरेंट 48 सिविल लाइंस, रुड़की; मैसर्स होटल अंबर, 48 सिविल लाइंस, बस स्टैंड, रुड़की; एवं मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
		<p>किए गए थे परंतु उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों में नोटिस जारी किए जाने के बाद की गतिविधियों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>3. चार मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 41 से क्रम सं. 44), मामले प्रक्रियाधीन थे।</p> <p>4. हरिद्वार जिले में स्थित 13 बंद घोषित इकाइयों में से नौ इकाइयों<sup>6</sup> (परिशिष्ट-1.2.7 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 9) का स्थल निरीक्षण नमूना जाँच के रूप में किया गया। जिसमें पाया गया कि नौ में से सात इकाइयाँ (परिशिष्ट-1.2.7 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 7) उस तिथि तक (जून 2017) परिचालन में थीं।</p>
7.	106 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें 2015-16 के दौरान बंदी नोटिस जारी किये गए थे, के परिचालन की स्थिति।	<p>1. जारी किए गए 106 बंदी नोटिसों में से, 60 (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 60) केस निरस्त कर दिये गए थे (इसमें 18 ऐसे मामले जिनमें इकाइयाँ एन जी टी के आदेशों के अंतर्गत परिचालित थीं, सम्मिलित हैं)।</p> <p>2. शेष 46 मामलों में (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 61 से क्रम सं. 106) जिनमें दोषी इकाइयाँ उ प नि प्र नि बो द्वारा बंद घोषित कर दी गयी थीं, में से नौ इकाइयों (एक सील व एक स्वयं बंद की गयी इकाई सहित) के वास्तविक बंदी से संबंधित अभिलेख उपलब्ध थे, जबकि 37 (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 70 से क्रम सं. 106) मामलों में बंदी नोटिस जारी किए गए थे परंतु उसके बाद की गयी कार्यवाही के साक्ष्य उ प नि प्र नि बो की फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>3. हरिद्वार जिले में बंद घोषित की गयी 18 (परिशिष्ट-1.2.9) इकाइयों में से छः इकाइयों<sup>7</sup> का स्थल निरीक्षण नमूना जाँच के रूप में किया गया एवं पाया गया कि सभी इकाइयाँ उक्त तिथि तक बंद थीं।</p>
8.	क्या राज्य अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा, जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के अंतर्गत वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन न किए जाने पर उ प नि प्र नि बो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में उ प नि प्र नि बो को जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था जिसमें बोर्ड को 45 दिनों के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा गया था। उ प नि प्र नि बो ने मई 2017 में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सम्मुख अपना जवाब दायर किया था।
9.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ ही साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना।	उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 37 इकाइयों के विरुद्ध केस दायर किए गए थे जिसमें से छः मामलों को, न्यायालय द्वारा ₹ 5.30 लाख का अर्थदण्ड लगाये जाने एवं संबंधित इकाइयों द्वारा अर्थदण्ड जमा कर दिये जाने के बाद, निस्तारित कर दिया गया। शेष 31 मामलों में कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध पाँच एफआईआर दर्ज किए गए।

<sup>6</sup> मैसर्स बाबा ब्रिकफील्ड, झबरेड़ा; मैसर्स रोशन ब्रिकफील्ड, नगला, लंदोरा, रुड़की; मै सवेरा ब्रिकफील्ड, बीजोला, लंदोरा, रुड़की; मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर; मै आँचल ब्रिकफील्ड, बीझोली, लंदोरा; मैसर्स अकबर खान ब्रिकफील्ड, कलियर, रुड़की; मैसर्स चाँद ब्रिक सप्लाइ, नगला, लंदोरा; मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदोरा, हरिद्वार; एवं मैसर्स. इंडियन भट्टा बिझोली, हरिद्वार।

<sup>7</sup> मै शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई रानीपुर, हरिद्वार; मै रल्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा लि, हरिद्वार; मै टेक्सप्लस टेक्सटाइल्स इंडिया प्रा लि, बहादुरपुरसैनी; मै एस टी पी इंटरप्राइजेज़, मधुपुर, रुड़की; मै राजा आइस फैक्ट्री, दूधपुर, हरिद्वार एवं मै नज़मा आइस फैक्ट्री, दूधपुर, हरिद्वार।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
10.	अशोधित मलजल को गंगा नदी में प्रवाहित करने वाले आश्रमों को बंद किया जाना।	उ प नि प्र नि बो द्वारा जिलाधिकारी एवं एसएसपी, हरिद्वार को गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित करने वाले पाँच आश्रमों को सील एवं बंद करने हेतु निर्देश दिये (फरवरी 2017) गए थे। नगरपालिका आयुक्त, हरिद्वार द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा मार्च 2017 में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि सभी पाँच आश्रमों ने सेप्टिक टैंक स्थापित कर लिया है जिन्हें जल संस्थान द्वारा साफ किया जा रहा है। इस प्रकार, इस समिति की जाँच के अनुसार, ये पाँच आश्रम वर्तमान में गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं कर रहे थे।
11.	गंगा नदी में अशोधित मलजल प्रवाहित कर रहे उदद्योग/ होटल/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ शिक्षण संस्थान के विरुद्ध उ प नि प्र नि बो द्वारा की गयी कार्यवाही।	गंगा नदी में अशोधित मलजल प्रवाहित कर रहे तीन होटल चिन्हित किए गए थे। इनको दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 की अवधि में बंदी नोटिस जारी किए गए थे। उक्त होटलों के द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के उपरांत बंदी नोटिस निरस्त किए गए थे। उक्त होटल वर्तमान में संचालित हैं।
12.	गंगा नदी में गिरने वाले नालों के विरुद्ध उ प नि प्र नि बो द्वारा की गयी कार्यवाही।	कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान एवं रा का प्र स द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर पाया गया कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में गिरने वाले सभी नालों को प्राथमिकता वाले नगरों में चिन्हित कर लिया गया है। गंगा और इसकी सहायक नदियों जैसे अलकनंदा एवं भागीरथी में 112 नालों के द्वारा 56.871 एम एल डी सीवेज प्रवाहित कर रहे हैं। लेखापरीक्षा तिथि तक इन 112 नालों में से 47 नाले (परिशिष्ट-1.2.10 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 15 तक) जो 30.579 एम एल डी सीवेज प्रवाहित करते थे, को बंद कर दिया गया। इसप्रकार 26.292 एम एल डी अशोधित सीवेज अभी भी गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों में गिर रहा है।  आगे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सदस्य सचिव, उ प नि प्र नि बो के पत्रांक 10073-2083 दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम को गंगा नदी में गिर रहे सभी नालों को बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में उठाए गए कदमों से संबंधित रिपोर्ट उ प नि प्र नि बो को प्रस्तुत जानी थी। मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रा स्व गं मि द्वारा गंगा तट के साथ पड़ने वाले नालों के उच्चीकरण तथा अवरोधन एवं विपथन हेतु डी पी आर स्वीकृत की जा चुकी हैं एवं निविदा प्रक्रिया जारी है। अतः यह अवगत कराया गया कि जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत ही किया जायेगा।
13.	गंगा नदी के तट पर स्थित अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाइयों की पुनर्स्थापना।	राज्य सरकार के पत्रांक-172(1)X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उ प नि प्र नि बो को दो सप्ताह के अंदर गंगा नदी के तट पर अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाइयों के संबंध में सर्वेक्षण करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं उ प नि प्र नि बो द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना में लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि गंगा नदी के तट पर कोई अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाई स्थित नहीं है। तथापि, सर्वेक्षण अभी भी जारी था।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
14.	गंगा नदी के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में खुले में गंदगी फैलाने/शौच एवं मूत्र विषर्जन पर लगाया गया जुर्माना।	राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2016 से "उत्तराखण्ड गंदगी निरोधक एवं थूक निरोधक अधिनियम, 2016" अस्तित्व में लाया गया है जिसमें पालतू जानवरों अथवा मानव द्वारा खुले में गंदगी फैलाने/शौच एवं मूत्र विषर्जन करने पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की अवमानना पर ₹ 5,000 का अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद अथवा दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा पत्रांक-172(2)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार के जिलाधिकारियों एवं उ प नि प्र नि बो के सदस्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी के जिलाधिकारियों द्वारा उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा चालित मैजिस्ट्रेट भी नामित किए गए। दीवार लेखन, होर्डिंग, तथा नियमित उद्घोषणाओं के द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
15.	राज्य में पालिथीन बैग्स के विक्रय, प्रयोग एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध।	उ प नि प्र नि बो के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि सचिव, शहरी विकास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-94 दिनांक 13 जनवरी 2016 के द्वारा एन जी टी के आदेशों एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-88 दिनांक 25 जनवरी 2017 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी नगर निगमों/परिषदों, जिला वन अधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को राज्य में प्लास्टिक तथा थर्मोकोल से निर्मित पैकिंग सामाग्री के विक्रय, प्रयोग एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु पत्र प्रेषित किए गए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर ₹ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण बंदी लागू करते हुए ₹ 57.94 लाख का जुर्माना लगाया/वसूल किया। सामूहिक बैठकों, दीवार लेखन, उद्घोषणाओं एवं खंभों पर लेखन के द्वारा जागरूकता पैदा जा रही है।
16.	राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल एवं शैंपू का प्रयोग नहीं करते हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(3)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार के जिलाधिकारियों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल एवं शैंपू का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए। साथ ही चालित मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं एवं जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।
17.	राज्य सरकार द्वारा जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(3)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार के जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिबंध को लागू करने हेतु उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार में चालित मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
18.	राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सभी पवित्र स्थलों में भीख मांगने को निषिद्ध किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-201/XVII-2/17-321(साका)/2002 दिनांक 09 मार्च 2017 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को राज्य के सभी पवित्र स्थलों में भीख मांगने को निषिद्ध किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, नगर निकायों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश जारी किए गए।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
19.	राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि हरिद्वार, ऋषिकेश एवं डाउन स्ट्रीम में गंगा की सफाई हेतु पर्याप्त स्किमर्स की व्यवस्था की गयी है?	रा का प्र स के अभिलेखों की संवीक्षा एवं उपलब्ध कराई गयी सूचना में पाया गया कि रा स्व गं मि द्वारा दिसम्बर 2016 में हरिद्वार एवं ऋषिकेश में स्किमर्स की स्थापना हेतु मै.अश्वथ इंफ्राटेक को ठेका इस निर्देश के साथ दिया गया था कि 01.01.17 तक स्किमर्स की तैनाती कर दी जाए। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय ठेकेदार से समन्वय स्थापित करने हेतु जिम्मेदार हैं। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में एक-एक स्किमर 1 मई 2017 को तैनात किया गया। वर्तमान में ऋषिकेश में तैनात स्किमर को, ऋषिकेश में जल का बहाव अधिक होने के कारण, दिल्ली स्थान्तरित किया गया है। हरिद्वार में परीक्षण जारी है। आगे, हरिद्वार में स्किमर के दैनिक सत्यापन हेतु नगर आयुक्त द्वारा नोडल अधिकारी के साथ सात कर्मचारियों को नामित किया है। एकत्रित कचरे के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थल भी चिन्हित किया गया है। रा का प्र स, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों एवं ठेकेदार के साथ त्रिपक्षीय समझौता अभी तक नहीं किया गया है।
20.	दिसम्बर 2016 से गंगा नदी के तट पर सभी नगरों में तैनात स्किमर्स की संख्या।	हरिद्वार एवं ऋषिकेश में एक-एक स्किमर मई 2017 को तैनात किया गया था। तथापि, एक स्किमर जो ऋषिकेश में तैनात था, रा स्व गं मि के 25 मई 2017 के निर्देश पर दिल्ली स्थान्तरित किया गया है।
21.	क्या गंगा नदी के तट पर स्थित नगरपालिका निकायों के पास कचरे को वैज्ञानिक विधि से निस्तारित करने हेतु ढांचा उपलब्ध है?	राज्य का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो अ प्र) कार्य योजना (2016-21) 2015 में तैयार की गई है, जिसे ठो अ प्र नियम 2016 के अनुसार 92 शहरी स्थानीय निकायों को आच्छादित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है। उपरोक्त 92 नगरों में से 12 नगरों हेतु [ड्यूश जीसेल शाफ्ट फर इंटरनेशनले जूसम्मेनार्बेट (जी आई जेड)] के सहयोग से सिटी सैनीटेसन प्लान (सी एस पी) बनाया जा रहा है। सी एस पी सभी शहरी तरल एवं ठोस अपशिष्ट को आच्छादित करेगा एवं अपशिष्ट की उत्पत्ति, एकत्रीकरण, शोधन एवं निस्तारण हेतु पूर्ण समाधान प्रदान करेगा। 15 प्राथमिकता नगरों में से 12 नगरों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है।
22.	क्या नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका निकायों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (2 दिसम्बर 2016) के छः माह के अंदर अपशिष्ट से ऊर्जा सयन्त्र लगाए जा चुके हैं?	550 एमटी क्षमता की अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना रुड़की में प्रस्तावित की गयी है। परियोजना नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है। यह प्रस्तावित संयंत्र 18 शहरी स्थानीय निकायों जैसे रुड़की, मंगलोर, लंधौर, भगवानपुर, झबरेड़ा, लक्सर, हरिद्वार, बी एच ई एल हरिद्वार, शिवालिक नगर, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम, नरेन्द्रनगर, डोईवाला, देहारादून, हरवर्टपुर, विकासनगर, मसूरी (राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड से संबंधित)
23.	क्या राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 के बाद गंगा नदी के तट से 2 कि. मी. की परिधि के अंदर नई जल आधारित औद्योगिक इकाइयों जैसे गन्ना, गूदा/ पेपर उद्योग, आसवनी, टेक्सटाइल उद्योग आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा गंगा नदी के तट से 2 कि. मी. की परिधि के अंदर नई जल आधारित औद्योगिक इकाइयों जैसे गन्ना, गूदा/ पेपर उद्योग, आसवनी, टेक्सटाइल उद्योग आदि के लगाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित जिलाधिकारियों को न तो ऐसे प्रतिवेदन स्वीकार करने एवं न ही ऐसे उद्योग लगाए जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। आगे, उ प नि प्र नि बो को भी ऐसे उद्योगों को समर्पित अनुमति एवं प्राधिकार (स अ प्र) निर्गत न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
24.	क्या नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने), होटलों (50 से अधिक मेंहमनों को रखने क्षमता), आश्रमों (जिसमें 100 श्रद्धालु से अधिक निवास करते हों) के द्वारा प्रवाह शोधन सयंत्र अथवा मल शोधन सयंत्र लगाया गया हो?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा उद्योग विभाग, राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड (सिडकुल), जिलाधिकारी, उ प नि प्र नि बो, एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव अनुमानकर्ता प्राधिकरण (रा प प्र अ प्र) को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए बिना ऐसे प्रकरणों में जल अधिनियम के अंतर्गत समेकित अनुमति एवं प्राधिकार (सीसीए) एवं पर्यावरण अनुमति निर्गत न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
25.	क्या राज्य सरकार द्वारा नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों एवं आश्रमों जिनमें प्रवाह शोधन सयंत्र अथवा मल शोधन सयंत्र स्थापित नहीं किया है, के विरुद्ध कार्यवाही की है?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उद्योग विभाग/सिडकुल/ उ प नि प्र नि बो को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
26.	क्या नगर निगम हरिद्वार के साथ साथ नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश द्वारा धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई सुनिश्चित रखने हेतु पर्याप्त संख्या में हवाई जहाज में प्रयुक्त शौचालयों में नियोजित तकनीक पर आधारित शौचालय के निर्माण हेतु कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	हरिद्वार में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 53 शौचालय परिसरों एवं 12 बायो डाइजेस्टर परिसरों को बी एच ई एल कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए थे जिसमें से छः बायो डाइजेस्टर परिसर चालू अवस्था में हैं। पाँच परिसर पूर्ण किए जा चुके हैं एवं एक के लिए स्थान चिन्हित किया जाना शेष है। ऋषिकेश में अभी तक कोई शौचालय निर्मित नहीं किया गया है।
27.	क्या राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के संबंध में "नदी संरक्षण जोन" (जहां पर प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अभिकरणों द्वारा गंगा नदी के तटों पर, सबसे ज्यादा बाढ़ के मैदान से, कोई निर्माण क्रियाकलाप अनुमन्य नहीं किया जाना चाहिए) चिन्हित किए गए हैं?	अध्यादेश सं.381/11-2017/06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 एवं अध्यादेश सं.382/11-2017/06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 उत्तराखण्ड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट, 2012 निर्गत किए गए हैं। उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपदों में गंगा नदी के 60 कि. मी. क्षेत्र को नदी संरक्षण क्षेत्र अध्यादेशित करते हुए अधिसूचना जारी की गई है एवं सभी संबंधितों से 'अनापत्ति' मांगी गयी है। इस फ्लड प्लेन जोनिंग क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध एवं प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए हैं।
28.	क्या राज्य सरकार द्वारा "नदी संरक्षण क्षेत्र" में निर्माण क्रियाकलाप प्रतिबंधित किए जाने के सम्बन्ध कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	अध्यादेश सं.381/11-2017/06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 एवं अध्यादेश सं.382/11-2017/06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 उत्तराखण्ड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट, 2012 के अंतर्गत निर्गत किए गए हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध एवं प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए हैं।

## परिशिष्ट-1.2.4

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 5, पृष्ठ 159)

180 उद्योगों/इकाईयों की वर्तमान स्थिति जिनको 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये

क्रम सं	दोषी उद्योगों का नाम और स्थान
1.	मैसर्स हिमालय गिट्स, हल्द्वानी, नैनीताल
2.	मैसर्स गंगा बीच रिजॉर्ट और होटल, लक्ष्मणझूला, ऋषिकेश, देहरादून
3.	मैसर्स श्री राधे इंटरप्राइजेज, आई पी - 42, रायपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, भगवानपुर, हरिद्वार
4.	मैसर्स जे.डी. टास्क, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
5.	मैसर्स होटल इन्विटेशन, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
6.	मैसर्स होटल आल सीजन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
7.	मैसर्स होटल पैसिफिक गार्डन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
8.	मैसर्स होटल वेली, आदर्श नगर, रुड़की, हरिद्वार
9.	मैसर्स शील चंद एगो ऑयल प्राइवेट लिमिटेड, लालपुर, उधम सिंह नगर
10.	मैसर्स कूपर फार्मा लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
11.	मैसर्स केंट इंडस्ट्रीज, लाकेश्वरी, हरिद्वार
12.	मैसर्स सुरक्षा फार्मा, रुड़की, हरिद्वार
13.	मैसर्स पंचवटी न्युट्रीएंट्स, रुड़की, हरिद्वार
14.	मैसर्स पल्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, करौदी, हरिद्वार
15.	मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
16.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
17.	मैसर्स एआईसीए लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
18.	मैसर्स सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
19.	मैसर्स सागर पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, झाबरेडा रोड, मंगलोर, हरिद्वार
20.	मैसर्स मॅगिक वायर (यूनिट -2), सेलमपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, रुड़की, हरिद्वार
21.	मैसर्स राज राजेश्वरी टेक्नोफेब, देव भूमि इंडस्ट्री एस्टेट, हरिद्वार
22.	मैसर्स सुरिन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ई एस आई पी एल, सितारगंज
23.	मैसर्स पार्ले बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड, ई एस आई पी एल, सितारगंज
24.	मैसर्स गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ई एस आई पी एल सितारगंज, उधम सिंह नगर
25.	मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल, ई एस आई पी एल सितारगंज, उधम सिंह नगर
26.	मैसर्स उत्तरांचल पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, मंडेट, मंगलोर, हरिद्वार
27.	मैसर्स सागर पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, मंगलोर देवबंद-रोड, मंगलोर, हरिद्वार
28.	मैसर्स गल्फार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रकिटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बुचपुरी, उधम सिंह नगर
29.	मैसर्स कॉर्बेट रतन, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
30.	मैसर्स कृष्णा वाइल्डरनेस रिट्रीट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
31.	मैसर्स म्यूरिका रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
32.	मैसर्स कान व्हिज्ज हम तुम रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
33.	मैसर्स ला पार्ले रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
34.	मैसर्स कॉर्बेट टाइगर डेन, बैलपड़ाव, कालाढुंगी रोड, रामनगर, नैनीताल
35.	मैसर्स कॉर्बेट अरोमा हैवन, (पार्क), टिकुली, रामनगर, नैनीताल
36.	मैसर्स मोनाल नेस्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
37.	मैसर्स जेपी ड्रग्स, आई आई ई हरिद्वार
38.	मैसर्स बोल्ड मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
39.	मैसर्स अमर पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, आईई हरिद्वार
40.	मैसर्स डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
41.	मैसर्स होटल शिव पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
42.	मैसर्स सुंदम फास्टनर्स लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
43.	मैसर्स राधु प्रोडक्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर



44.	मैसर्स यूरोशिया डोर डिवाइस, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
45.	मैसर्स पंकज गैस सिलिंडर, आई.ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
46.	मैसर्स एसएलजी ब्राइट वायर, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
47.	मैसर्स पीयूष इंडस्ट्रीज, सलीमपुर, हरिद्वार
48.	मैसर्स कॉर्बेट जंगल ट्रेजर, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
49.	मैसर्स कंटी इन, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
50.	मैसर्स कैम्प हॉर्नबिल, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
51.	मैसर्स क्लाक्स इन कॉर्बेट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
52.	मैसर्स वाइल्ड क्रेस्ट, टिकुली रामनगर, नैनीताल
53.	मैसर्स रामगंगा रिजॉर्ट, जमारिया, अल्मोड़ा
54.	मैसर्स प्लैटिडम सफारी लॉज, भाक्राकोट, अल्मोड़ा
55.	मैसर्स जुकासो मनु महारानी, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
56.	मैसर्स ट्रेफ होटल, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
57.	मैसर्स कॉर्बेट कॉम्फरटेबल रिजॉर्ट, रामनगर, नैनीताल
58.	मैसर्स कॉर्बेट रीवर क्रीक, झड़गांव, अल्मोड़ा
59.	मैसर्स जंगल पैराडाइज रिट्रीट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
60.	मैसर्स पी.एम टूल्स एंड एब्रेसिक्स, रायपुर इंडस्ट्रीज एरिया, भगवानपुर, हरिद्वार
61.	मैसर्स जिंदल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर, उधम सिंह नगर
62.	मैसर्स राज डीलक्स, सब्जी मंडी, विष्णु घाट, हरिद्वार
63.	मैसर्स होटल त्रिशूल, रेलवे रोड, हरिद्वार
64.	मैसर्स होटल सचिन इंटरनेशनल, श्रावण नाथ नगर, हरिद्वार
65.	मैसर्स मोनाल रिजॉर्ट, रुद्रप्रयाग
66.	मैसर्स अमाना मेटल फिनिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार
67.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, रुड़की, हरिद्वार
68.	मैसर्स इंटरनेशनल सेल्स कारपोरेशन, आई आई ई हरिद्वार
69.	मैसर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, निर्माण और रखरखाव खण्ड, जल निगम, डीजीवीआर कैंप, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून
70.	मैसर्स एलआरसी स्पेशलिटी सरफेक्टेंट्स,लाकेश्वरी, भगवानपुर, हरिद्वार
71.	मैसर्स आईटीसी (खाद्य प्रभाग), आई आई ई हरिद्वार
72.	मैसर्स गॉडविन होटल, हरीपुर, देहरादून
73.	मैसर्स होटल डायनेस्टी, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
74.	मैसर्स होटल प्रेम डायनेस्टी, 48, सिविल लाइंस, रुड़की, हरिद्वार
75.	मैसर्स होटल ग्रैंड प्रेसीडेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की हरिद्वार
76.	मैसर्स होटल सॉलिटेयर, मखानपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
77.	मैसर्स होटल राज पैलेस, हरिद्वार रोड, रुड़की, हरिद्वार
78.	मैसर्स होटल सुविधा एंड गेस्ट हाउस, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
79.	मैसर्स होटल रॉयल पैलेस, 22 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
80.	मैसर्स होटल सागर एण्ड रेस्टोरेंट, 19 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
81.	मैसर्स होटल माया पैलेस, रामपुर चंगी, रुड़की, हरिद्वार
82.	मैसर्स ब्लू सफोइर, रामपुर चौक, रुड़की, हरिद्वार
83.	मैसर्स होटल सूर्या फार्म, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
84.	मैसर्स होटल आर्यन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
85.	मैसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया, हरिद्वार
86.	मैसर्स कोटेक हेल्थ केयर, रुड़की, हरिद्वार
87.	मैसर्स अवीना मिल्क प्रोडक्ट्स, भगवानपुर, हरिद्वार
88.	मैसर्स रूप पॉलिमर्स लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
89.	मैसर्स मेटलमैन माइक्रो टर्नर, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
90.	मैसर्स एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
91.	मैसर्स निप्पमैन फास्टनर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सलेमपुर मेंहदुद, हरिद्वार
92.	मैसर्स सागर स्टोन क्रेशर, देवरामपुर, हल्द्वानी, नैनीताल



93.	मैसर्स कंदी क्लब वाइल्ड एक्जोटिका, टिकुली रामनगर, नैनीताल
94.	मैसर्स रोजवूड रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
95.	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, अकबरपुर, लकसर, हरिद्वार
96.	मैसर्स पायरक्स पॉलीमर्स, सुनहरा रोड रुड़की, हरिद्वार
97.	मैसर्स ई-इयुरेबल्स, सी - 5 यूपीएसआईडीसी सेलकुई, देहरादून
98.	मैसर्स एमके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
99.	मैसर्स ल्युकस टीवीएस लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
100.	मैसर्स जिम जंगल रिट्रीट, देला, रामनगर, नैनीताल
101.	मैसर्स कार्बेट वाइल्ड आयरिश स्पा एंड रिजॉर्ट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
102.	मैसर्स हृदेश स्पा एंड रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
103.	मैसर्स यूरो लाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, भगवानपुर, हरिद्वार
104.	मैसर्स होटल शिव मूर्ति, रेलवे रोड, हरिद्वार
105.	मैसर्स भारत भूमि पर्यटक परिसर, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश, देहरादून
106.	मैसर्स होटल चौटिवाला, न्यू बाईपास रोड, भूपतवाला, हरिद्वार
107.	मैसर्स होटल चौटिवाला, दुधारी चौक, हरिद्वार
108.	मैसर्स सरोवरपार्टिका, बट्टीनाथ, चमोली
109.	मैसर्स कृष्णा कॉटेज, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, पौड़ी
110.	मैसर्स जैन ग्रामोदय, जसपुर खुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर
111.	मैसर्स होटल द अमरिस, नटराज चौक, ऋषिकेश, देहरादून
112.	मैसर्स डेक्कन वेली हाउसिंग सोसाइटी, ऋषिकेश, देहरादून
113.	मैसर्स रंजना मिनरल्स एंड केमिकल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
114.	मैसर्स गुरु नानक मिनरल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
115.	मैसर्स होटल पार्क प्राइम, धुधन चौक, हरिद्वार
116.	मैसर्स कुमाऊं मिनरल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी
117.	मैसर्स राज बैग, कटिया, काशीपुर, उधम सिंह नगर
118.	मैसर्स होटल पोलारिस रैस्टोरेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
119.	मैसर्स होटल प्रजिडेन्ट, 48, सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
120.	मैसर्स होटल उर्वशी, सिविल लाइन बस स्टैंड, रुड़की, हरिद्वार
121.	मैसर्स होटल अंबर, 48, सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
122.	मैसर्स होटल मोटेल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
123.	मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की, हरिद्वार
124.	मैसर्स सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
125.	मैसर्स आनंद लॉज, 32 सिविल लाइन्स, निकट नीलम टॉकीज, रुड़की, हरिद्वार
126.	मैसर्स केशव पॉलीमर्स एंड ट्रेडर्स, रुड़की, हरिद्वार
127.	मैसर्स शांति ग्रामोदय संस्थान, हरिद्वार
128.	मैसर्स महाशक्ति ग्रामोदय संस्थान, बनजेरावाला, रुड़की, हरिद्वार
129.	मैसर्स माइक्रो टरनर्स, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
130.	मैसर्स विंडलास ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट-1), आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
131.	मैसर्स टेक्स जिपर, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, बंताखेड़ी, हरिद्वार
132.	मैसर्स देशमंथ रोसिन कंपनी, भुजीयाघाट, नैनीताल
133.	मैसर्स जिंदल रिसर्च लैब्स लिमिटेड, महूआखेड़ागंज, उधम सिंह नगर
134.	मैसर्स भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनी, गांव पोरा, तेहसील पुरोला, उत्तरकाशी
135.	मैसर्स शिवालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, त्युनी, जिला देहरादून
136.	मैसर्स अवंती मेटल इंडस्ट्रीज, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
137.	मैसर्स कार्बेट कंदी रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
138.	मैसर्स धर्मवीर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर, हरिद्वार
139.	मैसर्स दक्ष प्लाटर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर, दादुपुर, हरिद्वार
140.	मैसर्स उदय पैलेस, पीपलकोटी, चामोली
141.	मैसर्स रामा होटल, श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल

142.	मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद, हरिद्वार
143.	मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद, हरिद्वार
144.	मैसर्स मारी मंत होटल, धुधाचारी चौक, भूपतवाला, हरिद्वार
145.	मैसर्स ओमैक्स रिवेरा, प्लॉट नं. बी-आई आई ई, पंतनगर, उधम सिंह नगर
146.	मैसर्स नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आई आई ई, हरिद्वार
147.	मैसर्स गंगा किनारे, 237, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, देहरादून
148.	मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) हरिद्वार
149.	मैसर्स कंट्री इन, मोतीचूर
150.	मैसर्स होटल रीजेंट, मोतीचूर, देहरादून
151.	मैसर्स होटल डिवाइन इंटरनेशनल, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
152.	मैसर्स होटल प्रेमहंस, 48, सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
153.	मैसर्स काजरी, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
154.	मैसर्स भारत पीजी गेस्ट हाउस, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
155.	मैसर्स आनंद गेस्ट हाउस, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
156.	मैसर्स होटल सत्यम पैलेस, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
157.	मैसर्स होटल गोदावरी, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
158.	मैसर्स होटल विशाल, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
159.	मैसर्स होटल प्रकाश, 19 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
160.	मैसर्स आर.जी. बिल्डवेल इंजीनियर लिमिटेड, रुद्रप्रयाग
161.	मैसर्स पैसिफिक एस्टेट (अपार्टमेंट), देहरादून
162.	मैसर्स जिंदल एसआईआईपीएल सीईटीपी (सितारगंज) लिमिटेड सितारगंज, उधम सिंह नगर
163.	मैसर्स हैलक्स हेल्थ केयर, करौंदी, रुड़की, हरिद्वार
164.	मैसर्स रूट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूएस नगर
165.	मैसर्स सूर्या स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुनहरा रोड, राजपुतना, रुड़की, हरिद्वार
166.	मैसर्स ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशंस, दिनेशपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर
167.	स्टेशन मास्टर, उत्तरी रेलवे, काठगोदाम, नैनीताल
168.	मैसर्स जीवंत लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
169.	मैसर्स उत्तरांचल मेटल प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 11, 12, 13 सेक्टर-02 आई आई ई, जिला हरिद्वार
170.	मैसर्स होटल आस्था पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
171.	मैसर्स द कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट, डेला, रामनगर, नैनीताल
172.	मैसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज, गोविंदपुर दादुपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार
173.	मैसर्स नटराज इंटरप्राइजेज, बालकुंज के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर, हरिद्वार
174.	मैसर्स नीलकंठ धाम, ऋषिकेश रोड, हरिद्वार
175.	मैसर्स होटल सचिन इंटरनेशनल, रुद्रप्रयाग
176.	मैसर्स होटल हयात पैलेस, मंगलारे रोड, रुड़की, हरिद्वार
177.	मैसर्स डिवाइन रिजॉर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
178.	मैसर्स महादेव थर्मोपिक, महूआखेड़ागंज, उधम सिंह नगर
179.	मैसर्स नमन बिल्डकॉन लिमिटेड, कांवली, सेंट्रल होप टाउन, देहरादून
180.	मैसर्स कोमल मेटल फिनिसर्स, आई आई ई पंतनगर, उधमसिंह नगर

## परिशिष्ट-1.2.5

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 5, पृष्ठ 159)

## बंद घोषित उद्योगों की सूची

क्रम सं.	दोषी उद्योगों का नाम	कारण बताओ नोटिस की तिथि
1.	मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद	30.03.2016
2.	मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद	11.12.2015
3.	मैसर्स होटल पोलारिस रेस्टोरेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की	08.06.2015
4.	मैसर्स होटल अंबर, 48, सिविल लाइन, रुड़की	18.06.2015
5.	मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की	18.06.2015
6.	मैसर्स धर्मवीर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर	21.03.2016
7.	मैसर्स दक्ष प्लॉटर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर, दादुपुर	21.03.2016
8.	मैसर्स नटराज इंटरप्राइजेज, बाल कुंज के पीछे, गोविंदपुर दादुदर	30.03.2016
9.	मैसर्स होटल उर्वशी, सिविल लाइन बस स्टैंड, रुड़की	18.06.2015
10.	मैसर्स होटल मोटेल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
11.	मैसर्स सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
12.	मैसर्स आनंद लॉज, 32 सिविल लाइंस, नीलम टाकीज के पास, रुड़की	18.06.2015
13.	मैसर्स केशव पॉलीमर्स एंड ट्रेडर्स, रुड़की	12.08.2015
14.	मैसर्स शांति ग्रामोदय संस्थान, हरिद्वार	01.09.2015
15.	मैसर्स महाशक्ति ग्रामोत्सव संस्थान, बनजेरावाला, रुड़की	02.09.2015
16.	मैसर्स टेक्स जिपर, देव भूमि इंडस्ट्रीज, बंटाखेड़ी	12.10.2015

परिशिष्ट-1.2.6

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 6, पृष्ठ 159 एवं 160)

44 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2014-15 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योगों का नाम
1.	मैसर्स इकबाल आइस फैक्टरी, भगवानपुर, हरिद्वार
2.	मैसर्स तिरुपति एलपीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
3.	मैसर्स वैनगार्ड लेबोरेटरीज, सेलाकुई, देहरादून
4.	मैसर्स देव्याशुं अपप्लायंससेज प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
5.	मैसर्स ई-डूरेबल्स यूनिट-2, सेलाकुई, देहरादून
6.	मैसर्स पीएमवी न्युट्रीएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, महुवाखेडगंज, काशीपुर
7.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी
8.	मैसर्स हिमालय ब्रिक फील्ड, टिकोला, रुड़की
9.	मैसर्स एली फार्मास्यूटिकल्स, सीसोना, भगवानपुर
10.	मैसर्स अनिशका पॉलिसरफ, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी
11.	मैसर्स गणेश ब्रिक फील्ड, रुड़की
12.	मैसर्स यूपी बोन मिल्स, रुड़की, हरिद्वार
13.	मैसर्स तेजस स्टोन क्रशर, भोगपुर, हरिद्वार
14.	मैसर्स ओम साई स्क्रीनिंग प्लांट, भोगपुर, हरिद्वार
15.	मैसर्स श्रीजी स्टोन क्रेशर, भोगपुर, हरिद्वार
16.	मैसर्स कोसी मिनरल एंड स्टोन क्रेशर, लाधपुरा, बाज़पुर, यू एस नगर
17.	मैसर्स बी.आर. पेपर लिमिटेड, लालपुर, जसपुर, काशीपुर
18.	मैसर्स शुभम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, लालपुर, किच्छा
19.	मैसर्स जीएस फार्माब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई पंतनगर
20.	मैसर्स रामा पेनल प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
21.	मैसर्स यू एंड के स्टील, सुनहरा, रुड़की
22.	मैसर्स हनुआंग टोयस एंड टेक्सटाइल लिमिटेड, लक्षेश्वरी
23.	मैसर्स मल्टीवाल डुप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर
24.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल लिमिटेड (यूनिट-1), काशीपुर
25.	मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लंदौरा
26.	मैसर्स सैवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोला, लंदौरा, रुड़की
27.	मैसर्स आंचल ब्रिक फील्ड, बिड़ोली, लंदौरा
28.	मैसर्स अकबर खान ब्रिक फील्ड, कालियार, रुड़की
29.	मैसर्स चंद ब्रिक सप्लाई, नागला, लंदौरा
30.	मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, झबरेड़ा
31.	मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदौरा, हरिद्वार
32.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली, हरिद्वार
33.	मैसर्स जेबीएम इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंडस्ट्रीज एस्टेट, लक्षेश्वरी
34.	मैसर्स जेएमजे पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, खेमपुर-शिकारपुर
35.	मैसर्स स्वस्ति आरएमसी, ब्राह्मणवाला, हरिद्वार-बाय-पास, देहरादून
36.	मैसर्स एप्पल फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, भगवानपुर

37.	मैसर्स निजाम उधोग,मंगलोर, रुड़की
38.	मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर
39.	मैसर्स रिधि विनायक टेक्नो कंक्र्रीट प्रोडक्टस, माजरा
40.	मैसर्स रवा हाइटैक रुद्रपुर प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर
41.	मैसर्स डेफोहिल्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
42.	मैसर्स डेफोहिल्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई देहरादून
43.	मैसर्स पीएमवी मल्टिंग (पी) लिमिटेड, महुवाखेड़ागंज
44.	मैसर्स स्काइमैप फार्मास्यूटिकल्स, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी

नोट: मैसर्स डेफोहिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून सूची में दो बार दर्शाया गया है क्योंकि उ प नि प्र नि बो ने दो बार बंद करने का नोटिस जारी किया।

परिशिष्ट-1.2.7

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 6, पृष्ठ 160)

बंद किये गये उद्योगों की सूची जिन्हें 2014-15 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम	बंद करने का नोटिस जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, झबरेड़ा	01.08.2014
2.	मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लंढौरा	02.07.2014
3.	मैसर्स सवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोला, लंढौरा, रुड़की	02.07.2014
4.	मैसर्स आंचल ब्रिक फील्ड, बिजोली, लंढौरा	01.08.2014
5.	मैसर्स चांद ब्रिक सप्लाई, नागला, लंढौरा	01.08.2014
6.	मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंढौरा, हरिद्वार	06.09.2014
7.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बीजोली, हरिद्वार	06.09.2014
8.	मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर	16.07.2014
9.	मैसर्स अकबर खान ब्रिक फील्ड, कालियार, रुड़की	01.08.2014
10.	मैसर्स एप्पल फॉर्मलेशन प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, भगवानपुर	02.07.2014
11.	मैसर्स निजाम उधोग, मंगलोर, रुड़की	02.07.2014
12.	मैसर्स जे एम जे पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, खेमपुर-शिकारपुर	10.02.2015
13.	मैसर्स जे बी एम इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंडस्ट्रीज एस्टेट, लक्शेवरी	24.02.2015

## परिशिष्ट-1.2.8

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 7, पृष्ठ 160)

106 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम
1.	मैसर्स वी आई पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
2.	मैसर्स खटीमा फाइबर्स लिमिटेड, खटीमा
3.	मैसर्स कोनार्क इंडस्ट्रीज, महुआखेड़ागंज, काशीपुर
4.	मैसर्स ओमकार इन्फ्राटेक लिमिटेड, रतनपुरी, बाजपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर
5.	मैसर्स जस्ट इन एग्गी फूड (पी) लिमिटेड, महुआखेड़ागंज
6.	मैसर्स मेंगा काउंटी, मसूरी डाइवर्जन, देहरादून
7.	मैसर्स प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण और अनुरक्षण इकाई, ऋषिकेश
8.	मैसर्स केवीएन ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लालपुर
9.	मैसर्स रूद्रा ऑटो टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
10.	मैसर्स श्री राधे इंटरप्राइजेज, रायपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, रायपुर
11.	मैसर्स डीपीएस पॉलीमर्स, भगवानपुर
12.	मैसर्स समीर ब्राइट बार इंडस्ट्रीज, रुद्रपुर
13.	मैसर्स श्री गुरु स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, कनौरी, बाजपुर
14.	मैसर्स आशा स्टोन क्रेशर, बाजपुर
15.	मैसर्स हरि हर स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, कनौरी, बाजपुर
16.	मैसर्स रेडिशन ब्लू होटल हरिद्वार, आई आई ई हरिद्वार
17.	मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाई, रुड़की
18.	मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाई, टांडा भनेडा, रुड़की
19.	मैसर्स अल्फा इंगोर्ट्स, गंगानोली लक्सर
20.	मैसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, किच्छा
21.	मैसर्स वन हेल्थ केयर, करौंदी, हरिद्वार
22.	मैसर्स पंचवटी प्रायोगशाला, रुड़की
23.	मैसर्स एचएमआई मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन, हरिद्वार
24.	मैसर्स जेएमडी हीट ट्रीटमेंट, भगवानपुर
25.	मैसर्स इकबाल आइस फैक्टरी, भगवानपुर, हरिद्वार
26.	मैसर्स एप्पल इंडस्ट्रीज, ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया, हरिद्वार
27.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, बेगमपुर, हरिद्वार
28.	मैसर्स टेक हार्ड इंडिया, बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया
29.	मैसर्स वेरिजनो एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया
30.	मैसर्स मकिनो ऑटोमोटिव, बहादुराबाद इंडस्ट्रीज एरिया
31.	मैसर्स अवंती बुफा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की
32.	मैसर्स महाकाली स्टोन क्रेशर, हल्द्वानी
33.	राज राजेश्वरी टेक्नो फेब, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी
34.	मैसर्स होटल शिव साई, इंदिरा बस्ती, हरिद्वार
35.	मैसर्स विवेक होटल, इंदिरा एनक्लेव, शांतिकुंज, हरिद्वार
36.	मैसर्स डेक्सबयो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर

37.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
38.	मैसर्स काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर
39.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
40.	मैसर्स सुंदरम फास्टनर लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
41.	मैसर्स वेरिजोन एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
42.	मैसर्स उत्तरांचल पल्प एंड पेपर, मंगलोर
43.	मैसर्स आल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
44.	मैसर्स साई ऑटो इंडस्ट्रीज, शिमला पिस्तौर, रुद्रपुर
45.	मैसर्स सुरिन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर
46.	मैसर्स भारत ग्लास और एल्युमिनियम वर्क्स, बेगमपुर
47.	मल्टीवाल पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, बाजपुर रोड, काशीपुर
48.	मल्टीवाल डुप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कुंडेश्वरी रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर
49.	मैसर्स यूरेशिया डूरडिवासिज, आई आई ई पंतनगर
50.	मैसर्स राधु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
51.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, बन्ताखेड़ी, भगवानपुर
52.	मैसर्स सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
53.	मैसर्स पंकज गैस सिलिन्डर्स, आई आई ई पंतनगर
54.	मैसर्स एसएसवी हाईटेक रुद्रपुर
55.	मैसर्स ताक्षी ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई रानीपुर
56.	मैसर्स एएनजी ऑटो लिमिटेड, एल्डेको-सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क, सितारगंज
57.	मैसर्स फेरो टेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लाकेश्वरी, भगवानपुर
58.	मैसर्स नीडल आई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बाजपुर
59.	मैसर्स अमन मेटल फिनिशर, आई आई डी सी रानीपुर, हरिद्वार
60.	मैसर्स आशीष एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, महुआखेड़ागंज
61.	मैसर्स श्री साई इंटरप्राइजेज, किच्छा रोड, रुद्रपुर
62.	मैसर्स विंडल्स ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3), रुद्रपुर
63.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-2, काशीपुर
64.	मैसर्स कुएडे एक्सपोर्ट, आई आई ई पंतनगर
65.	मैसर्स एसएलजी ब्राइट वायर, आई आई ई पंतनगर
66.	मैसर्स आरआर इंटरप्राइजेज, आई आई ई पंतनगर उधम सिंह नगर
67.	मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई रानीपुर
68.	मैसर्स पीएन पल्प एंड पेपर किच्छा रोड, उधम सिंह नगर
69.	मैसर्स टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरपुर सैनी
70.	मैसर्स हिलवेज कंस्ट्रक्शन कॉम प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रप्रयाग
71.	मैसर्स रुद्रधाम रिसायकलर प्राइवेट लिमिटेड, रुड़की, हरिद्वार
72.	मैसर्स द आर्टिगो रेजिडेन्सी, मसूरी डाइवर्सन
73.	मैसर्स सीमा कन्स्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार
74.	मैसर्स होटल तपोवन रिजॉर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
75.	मैसर्स राल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई रानीपुर
76.	मैसर्स राजा आइस फैक्टरी, दुधपुर, हरिद्वार



77.	मैसर्स शीतला फिनिशर्स, दादुपुर, हरिद्वार
78.	मैसर्स नाजमा आइस फैक्टरी, दादुपुर, हरिद्वार
79.	मैसर्स सबरी बृक्क फील्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर रोड
80.	मैसर्स बंसल इम्पेक्स, किच्छा रोड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर
81.	मैसर्स एस टी पी इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की
82.	मैसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग, लाकेश्वरी, हरिद्वार
83.	मैसर्स स्कैफ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार
84.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिड़ौली
85.	मैसर्स अग्रवाल एल्युमिनियम, सितारगंज
86.	मैसर्स टी एस इंटरप्राइजेज, गढी मैचक, श्यामपुर, ऋषिकेश
87.	मैसर्स जीएस इंटरप्राइजेज, मोहबेवाला इंडस्ट्रीयल एरिया
88.	मैसर्स सागर केमिकल्स, हल्द्वानी
89.	मैसर्स पी एन पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड, किच्छा
90.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-1, काशीपुर
91.	मैसर्स टेक्स जिपर, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी, हरिद्वार
92.	मैसर्स पार्क प्राइम होटल, हरिद्वार
93.	मैसर्स मैडग्लोब थेरेपिटिक्स लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की
94.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, आई आई ई पंतनगर
95.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, आई आई ई हरिद्वार
96.	मैसर्स केशव पॉलिमर एंड ट्रेडर्स, लाकेश्वरी, भगवानपुर
97.	मैसर्स आफताब बैटरी उद्योग, केलखेड़ा, बाज़पुर
98.	मैसर्स पारुल फैब्रिकेटर, सितारगंज
99.	मैसर्स लॉट्टे इलेक्ट्रॉनिक्स, किशनपुर, किच्छा
100.	मैसर्स गणपति मेटल प्रोडक्ट्स, भूरानी, रुद्रपुर
101.	मैसर्स सुरांश पावर प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर
102.	मैसर्स नरेंद्र प्रिसिजन फास्टनर, आई आई ई, पंतनगर
103.	मैसर्स विंडल्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, भगवाड़ा, किच्छा
104.	मैसर्स अवंती मेटल इंडस्ट्रीज, आई आई ई, पंतनगर
105.	मैसर्स बी.ए. इंटरनेशनल, रुड़की
106.	मैसर्स दशमेश रोजिन कंपनी, डोगडा, भुजीघाट, नैनीताल

नोट: मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाइ, रुड़की, मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, मैसर्स वेरिजन एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार और मैसर्स विंडल्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, भगवाड़ा, किच्छा जिनको सूची में दो बार दिखाया गया है, को उ प नि प्र नि बो ने दो बार बंद करने का का नोटिस जारी किया।

परिशिष्ट-1.2.9

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 7, पृष्ठ 160)

बंद उद्योगों की सूची जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम	उद्योग बंद करने का नोटिस जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई, रानीपुर	06.02.2016
2.	मैसर्स राल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई, रानीपुर	23.03.2015
3.	मैसर्स टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरपुर सैनी	06.02.2016
4.	मैसर्स एसटीपी इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की	18.05.2015
5.	मैसर्स राजा आइस फैक्टरी, दुधपुर, हरिद्वार	16.06.2015
6.	मैसर्स नाजमा आइस फैक्टरी, दादुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
7.	मैसर्स रुद्रधाम रिसायकलर्स प्राइवेट लिमिटेड, रुड़की, हरिद्वार	01.05.2015
8.	मैसर्स सीमा कन्स्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार	23.05.2015
9.	मैसर्स शीतला फ़िनिशर्स, दादुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
10.	मैसर्स सबरी ब्रिक फ़िल्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर	22.06.2015
11.	मैसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग, लाकेश्वरी, हरिद्वार	01.09.2015
12.	मैसर्स स्कैफ़ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार	01.09.2015
13.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली	06.09.2014
14.	मैसर्स मेडग्लोब थेरापिटिक्स लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की	08.01.2016
15.	मैसर्स केशव पॉलिमर एंड ट्रेडर्स, लाकेश्वरी, भगवानपुर	22.01.2016
16.	मैसर्स आर.आर. इंटरप्राइजेज, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर	06.02.2016
17.	मैसर्स बी.ए. इंटरनेशनल, भगवानपुर, रुड़की	06.02.2016
18.	मैसर्स टेक्स जिपर, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी, हरिद्वार	21.12.2015

## परिशिष्ट-1.2.10

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 12, पृष्ठ 161)

## गंगा नदी में मल प्रवाहित करने वाले नालों का विवरण

क्रम सं.	शहर का नाम	कुल नाले	नालों से प्रवाह (एम एल डी)	बंद किए गए नाले	बंद नाले से प्रवाह (एम एल डी)	नदी जिसमें नाला बहता है	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	उत्तरकाशी	4	0.380	4	0.38	भागीरथी	
2.	श्रीनगर	17	2.270	7	1.52	अलकनंदा	
3.	देवप्रयाग	4	0.128	1	0.029	गंगा	
4.	तपोवन	5	0.390	5	0.39	गंगा	पाँच में से दो नाले प्राकृतिक अप्रदूषित पानी को ले जा रहे हैं।
5.	मुनी-की-रेती, ढालवाला	15	7.570	9	0.37	गंगा	
6.	ऋषिकेश	5	8.210	4	8.20	गंगा	
7.	हरिद्वार	22	31.49	17	19.69	गंगा	
8.	बद्रीनाथ	6	0.549	-	-	अलकनंदा	
9.	जोशीमठ	7	3.620	-	-	अलकनंदा	
10.	गोपेश्वर	7	1.580	-	-	अलकनंदा	
11.	नंदप्रयाग	3	0.091	-	-	अलकनंदा	
12.	कर्णप्रयाग	7	0.202	-	-	अलकनंदा	
13.	गौचर	0		-	-	अलकनंदा	
14.	रुद्रप्रयाग	8	0.362	-	-	अलकनंदा	
15.	कीर्तिनगर	2	0.029	-	-	अलकनंदा	
	<b>योग</b>	<b>112</b>	<b>56.871</b>	<b>47</b>	<b>30.579</b>		

परिशिष्ट-1.3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.3.7.4; पृष्ठ 43)

राज्य सरकार द्वारा एस डब्ल्यू एस एम को विलंब से निधियां अवमुक्त किये जाने के कारण दिये जाने वाले दण्डनीय ब्याज का विवरण

वर्ष	सरकार का स्वीकृति आदेश	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	राज्य सरकार का अवमुक्ति आदेश	अवमुक्ति की तिथि	अवमुक्त करने में 15 दिनों से अधिक का विलंब	12 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज (₹ लाख में)
2014-15	W-11020/27/2013/NRDWP/Water/162	24-09-2014	2,981.42	926/उन्नतीस (2)/14-2(91पे)/2014	08-12-2014	60	58.81
	W-11020/27/2014/NRDWP/Water/383	14-01-2015	1,843.40	214/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014	06-02-2015	8	4.85
	W-11020/27/2012/NRDWP/Water/403	17-02-2015	255.35	485/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014TC	21-03-2015	17	1.43
	W-11020/27/2012/NRDWP/Water/402	17-02-2015	254.68	485/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014TC	21-03-2015	17	1.42
	W-11020/27/2014/NRDWP(MDI)/Water/441	18-02-2015	1.07	468/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014TC-3	24-03-2015	19	0.01
	W-11020/27/2014/NRDWP/Water/510	11-03-2015	962.83	1533/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	18-12-2015	267	84.52
2015-16	G-11011/08/2015/Water-I/20	16-06-2015	137.35	1003/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	28-07-2015	27	1.22
	G-11011/08/2015/Water-I/20	16-06-2015	1,316.61	1002/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	28-07-2015	27	11.69
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	19.86	1105/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	19-08-2015	32	0.21
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	190.40	1533/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	18-12-2015	153	9.58
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	364.51	1106/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	19-08-2015	32	3.83
	Q-16011/2/2015-Stat(MDI)/154	16-02-2016	55.63	939/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	100	1.83
	Q-16011/2/2015-Stat(MDI)/154	16-02-2016	155.81	941/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	100	5.12
2016-17	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	64.44	940/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	0.93
	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	429.18	939/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	6.21
	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	1,202.06	941/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	17.39
	G-11011/4/2016/Water-I/97	20-05-2016	146.78	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	1.45
	G-11011/4/2016/Water-I/97	20-05-2016	244.63	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	2.41
	G-11011/4/2016/Water-I/59	20-05-2016	53.63	1046/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	0.53
	G-11011/4/2016/Water-I/59	20-05-2016	1,000.57	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	9.87
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	51.82	2103/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	0.43
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	345.15	2102/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	2.84
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	966.73	2101/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	7.95
	W-11032/1/2017/Water-I/175	13-02-2017	1,632.20	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	16	8.59
	W-11020/78/2015/Water-I/174	13-02-2017	125.04	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	16	0.66
	Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	8.05	218/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.03
	Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	45.46	275/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.18
Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	160.24	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.63	
योग			15,014.90 (₹ 150.15 करोड़)		कुल अर्जित ब्याज		244.62 (₹ 2.45 करोड़)

स्रोत: राजस्व मि से एकत्रित।

## परिशिष्ट-1.3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3.8.6; पृष्ठ 49)

## नमूना-जाँचित चार जिलों में जल की गुणवत्ता की जाँच का विवरण

जिला	वर्ष	सभी ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों की संख्या	उन जल स्रोतों की संख्या जिनकी जल गुणवत्ता का परीक्षण किया गया			कुल आवश्यक परीक्षण	किए गए परीक्षण	कमी	कमी (प्रतिशतता में)
			मानसून से पहले व बाद में दोनों	मानसून से पहले या बाद में	न पहले न बाद में				
1	2	3	4	5	6	7 (2*कॉलम 3)	8 (2*कॉलम 4 + कॉलम 5)	9 (कॉलम 7 - कॉलम 8)	10 (कॉलम 9*100 / कॉलम 7)
अल्मोड़ा	2012-13	3,341	0	189	3,152	6,682	189	6,493	97
	2013-14	3,356	0	531	2,825	6,712	531	6,181	92
	2014-15	3,370	0	624	2,746	6,740	624	6,116	91
	2015-16	3,385	0	155	3,230	6,770	155	6,615	98
	2016-17	3,400	8	179	3,213	6,800	195	6,605	97
<b>योग</b>		<b>16,852</b>	<b>8</b>	<b>1,678</b>	<b>15,166</b>	<b>33,704</b>	<b>1,694</b>	<b>32,010</b>	<b>95</b>
नैनीताल	2012-13	1,518	5	267	1,246	3,036	277	2,759	91
	2013-14	1,533	0	367	1,166	3,066	367	2,699	88
	2014-15	1,548	25	211	1,312	3,096	261	2,835	92
	2015-16	1,563	0	14	1,549	3,126	14	3,112	100
	2016-17	1,578	14	349	1,215	3,156	377	2,779	88
<b>योग</b>		<b>7,740</b>	<b>44</b>	<b>1,208</b>	<b>6,488</b>	<b>15,480</b>	<b>1,296</b>	<b>14,184</b>	<b>92</b>
पौड़ी गढ़वाल	2012-13	3,141	6	516	2,619	6,282	528	5,754	92
	2013-14	3,156	1	328	2,827	6,312	330	5,982	95
	2014-15	3,171	37	746	2,388	6,342	820	5,522	87
	2015-16	3,186	39	388	2,759	6,372	466	5,906	93
	2016-17	3,202	38	479	2,685	6,404	555	5,849	91
<b>योग</b>		<b>15,856</b>	<b>121</b>	<b>2,457</b>	<b>13,278</b>	<b>31,712</b>	<b>2,699</b>	<b>29,013</b>	<b>91</b>
टिहरी गढ़वाल	2012-13	2,570	0	287	2,283	5,140	287	4,853	94
	2013-14	2,585	1	317	2,267	5,170	319	4,851	94
	2014-15	2,599	37	666	1,896	5,198	740	4,458	86
	2015-16	2,614	19	157	2,438	5,228	195	5,033	96
	2016-17	2,629	38	330	2,261	5,258	406	4,852	92
<b>योग</b>		<b>12,997</b>	<b>95</b>	<b>1,757</b>	<b>11,145</b>	<b>25,994</b>	<b>1,947</b>	<b>24,047</b>	<b>93</b>

स्रोत: उ ज सं से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-1.13.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.13.3.1; पृष्ठ 80)

न नि देहारादन एवं हरिद्वार द्वारा प्राप्त निधियों का वर्ष-वार विवरण

देहारादन (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	बजट आवंटन					व्यय			अंत शेष
		केंद्रान्श	राज्यांश	स्वयं का अंश	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के लिए अवस्थापना विकास पर व्यय	कुल व्यय	
2014-15	6.33	1.87 <sup>1</sup>	17.95 <sup>7</sup>	9.76 <sup>13</sup>	0.00	35.91	27.40 (93)	2.05 (7)	29.45	6.46
2015-16	6.46	2.55 <sup>2</sup>	25.51 <sup>8</sup>	10.77 <sup>14</sup>	1.00 <sup>19</sup>	46.29	32.43 (91)	3.20 (9)	35.63	10.66
2016-17	10.66	7.11 <sup>3</sup>	22.41 <sup>9</sup>	10.36 <sup>15</sup>	0.00	50.54	32.76 (80)	8.08 (20)	40.84	9.70
<b>योग</b>		<b>11.53</b>	<b>65.87</b>	<b>30.89</b>	<b>1.00</b>	<b>132.74</b>	<b>92.59 (87)</b>	<b>13.33 (13)</b>	<b>105.92</b>	

  

हरिद्वार (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	बजट आवंटन					व्यय			अंत शेष
		केंद्रान्श	राज्यांश	स्वयं का अंश	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के लिए अवस्थापना विकास पर व्यय	कुल व्यय	
2014-15	1.67	1.61 <sup>4</sup>	8.65 <sup>10</sup>	3.17 <sup>16</sup>	0.00	15.10	12.00(92)	1.00 (8)	13.00	2.10
2015-16	2.10	4.68 <sup>5</sup>	8.84 <sup>11</sup>	2.90 <sup>17</sup>	4.97 <sup>20</sup>	23.49	11.83(74)	4.21 (26)	16.04	7.45
2016-17	7.45	0.45 <sup>6</sup>	7.37 <sup>12</sup>	2.91 <sup>18</sup>	0.21 <sup>21</sup>	18.39	10.27(59)	7.08 (41)	17.35	1.04
<b>योग</b>		<b>6.74</b>	<b>24.86</b>	<b>8.98</b>	<b>5.18</b>	<b>56.98</b>	<b>34.10 (74)</b>	<b>12.29(26)</b>	<b>46.39</b>	

निधियों का स्रोत	वर्ष	निधियों का विवरण	
		न नि देहारादन	न नि हरिद्वार
केंद्रीय निधियाँ	2014-15	सी एफ सी: ₹ 1,87,15,193 <sup>1</sup>	नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 5,61,250 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 20,65,790 + सी एफ सी: ₹ 1,34,64,398 = ₹ 1,60,91,438 <sup>4</sup>
	2015-16	स्वच्छ भारत मिशन : ₹ 1,72,08,000 + सी एफ सी: ₹ 83,14,382 = ₹ 2,55,22,382 <sup>2</sup>	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 2,90,000+ नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 3,07,60,450 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 25,672 + सी एफ सी: ₹ 1,56,61,906 = ₹ 4,67,38,028 <sup>5</sup>
	2016-17	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 64,53,000 + सी एफ सी: ₹ 6,46,97,467 = ₹ 7,11,50,467 <sup>3</sup>	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 2,38,322 + नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 14,89,323 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 5,281 + सी एफ सी: ₹ 27,97,000 = ₹ 45,29,926 <sup>6</sup>
राज्य निधियाँ	2014-15	आवस्थापना (कूड़ा दान क्रय): ₹ 31,50,000 + एस एफ सी: ₹ 17,63,66,749 = ₹ 17,95,16,749 <sup>7</sup>	एस एफ सी: ₹ 8,65,12,993 <sup>10</sup>
	2015-16	स्वच्छता अनुदान: ₹ 2,35,00,000 + मुख्य मंत्री अनुदान: ₹ 1,50,00,000 + एस एफ सी: ₹ 21,66,08,809 = ₹ 25,51,08,809 <sup>8</sup>	एस एफ सी: ₹ 8,84,36,263 <sup>11</sup>
	2016-17	एस एफ सी: ₹ 22,40,73,834 <sup>9</sup>	एस एफ सी: ₹ 7,36,95,704 <sup>12</sup>
स्वयं के संसाधन	2014-15	निगम निधि: ₹ 9,76,14,789 <sup>13</sup>	निगम निधि: ₹ 3,16,57,899 <sup>16</sup>
	2015-16	निगम निधि: ₹ 10,76,87,920 <sup>14</sup>	निगम निधि: ₹ 2,89,96,340 <sup>17</sup>
	2016-17	निगम निधि: ₹ 10,35,54,120 <sup>15</sup>	निगम निधि: ₹ 2,90,49,337 <sup>18</sup>
अन्य संसाधन	2014-15	-	-
	2015-16	एम डी डी ए: ₹ 1,00,00,000 <sup>19</sup>	कॉवड मेला: ₹ 13,10,305+विधायक निधि: ₹ 5,00,000 + अर्धकुंभ मेला: ₹ 4,73,86,000 + कूड़ा दान क्रय: ₹ 5,00,000 = ₹ 4,96,96,305 <sup>20</sup>
	2016-17	-	कॉवड मेला: ₹ 16,01,750 + चारधाम: ₹ 5,00,000 = ₹ 21,01,750 <sup>21</sup>

## परिशिष्ट-2.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 100 एवं 101)

दो व्यापारियों से संबंधित चार प्रकरणों के संबंध में अर्थदण्ड के अनारोपण के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	व्यापारियों की टिन संख्या [वाणिज्य कर इकाई के अंतर्गत]	क्रय माल	कर निर्धारण वर्ष (वर्ष जिसमें कर निर्धारण किया गया)	प्रपत्र 'ग' जारी करके माल के अनाधिकृत क्रय की धनराशि (₹ में)	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय कर (₹ में)	धारा 10-क सपठित धारा 10(ख)/10(घ) के अंतर्गत अर्थदण्ड (स्तम्भ 7 का डेढ़ गुना) (₹ में)	उल्लंघन की श्रेणी [के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	0500961780 [उ आ (क नि) खण्ड-IV, वा क, देहरादून]	केमिकल, एन्टी रस्ट एवं टेफलान	2009-10 (2014-15)	18,99,957	12.5	2,37,495	3,56,242.50	व्यापारियों द्वारा क्रय माल उनके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र के अंतर्गत आच्छादित नहीं था [धारा 10-क सपठित धारा 10-(ख)]
		जेनसेट, एन्टी रस्ट एवं टेफलान	2010-11 (2014-15)	34,70,173	13.5*	4,68,473	7,02,709.50	
2.	05008095257 [स आ (क नि) खण्ड-IV, वा क, रुड़की]	क्रशर बाल्टी	2012-13 (2015-16)	25,98,040	13.5	3,50,735	5,26,102	
3.	0500961780 [उ आ (क नि)- IV, वा क, देहरादून]	डेमो वाहन	2010-11 (2014-15)	59,87,233	13.5	8,08,276	12,12,414	
4.	05008095257 [स आ (क नि) खण्ड-I, वा क, अल्मोड़ा]	पम्पिंग सेट, चेन पुली, पीनल पम्प सेट, बेस प्लेट और वाल्व	2010-11 (2013-14)	1,14,26,185	13.5	61,84,882	92,77,323	व्यापारी ने जिस उद्देश्य से रियायती दर पर माल क्रय किया उस उद्देश्य से माल का उपयोग नहीं किया। [धारा 10-क सपठित धारा 10(घ)]
			2011-12 (2014-15)	1,31,94,664				
			2012-13 (2014-15)	2,11,93,092				
			4,58,13,941					
<b>योग</b>						<b>80,49,861</b>	<b>1,20,74,791</b>	

\* नई दर 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी थी।

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3; पृष्ठ 101)

वाणिज्य कर विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित चार व्यापारियों द्वारा घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	व्यापारी का टिन नम्बर	कर निर्धारण वर्ष (वर्ष जिसमें कर निर्धारण/पुनर्कर निर्धारण किया गया)	प्रपत्र- 11 की धनराशि	क्रय किया गया माल	कर की अन्तरीय दर (%)	अन्तरीय कर की धनराशि	अर्थदण्ड (माल के मूल्य का 40 प्रतिशत या कर का तीन गुना जो भी अधिक हो)	उल्लंघन की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उ नि (क नि)-II, रुद्रपुर	05004695213	2011-12/ (जनवरी 2015)	22,88,043	इलेक्ट्रिक गुड्स एवं स्पेयर पार्ट्स इत्यादि	11.50 (13.50-2.00)	2,63,125	9,26,657	करमुक्त माल का विनिर्माण (स्वीकृत)
			2012-13/ (जनवरी 2015)	3,99,572			45,951	1,61,827	
		05007612585	2011-12/ (सितम्बर 2014)	20,02,667	कैमिकल्स		2,30,307	8,11,080	
2.	स आ (क नि), खण्ड-IV, वा क, देहरादून	05006694189	2008-09/ (नवम्बर 2012/ जून 2016)	23,21,783	वुड	10.50 (12.50-2.00)	2,43,787	9,28,713	करमुक्त माल का विनिर्माण (स्वीकृत)
			2009-10/ (जनवरी 2014)	17,49,048			1,83,650	6,99,619	
3.	उ नि (क नि)-I, वा क, विकासनगर	05005088160	2012-13/ (मार्च 2016)	1,47,33,953	गैस चार्जिंग मशीन	11.50 (13.50-2.00)	16,94,405	59,67,251	मान्यता प्रमाण पत्र के अंतर्गत अनाच्छादित माल
<b>योग</b>				<b>2,34,95,066</b>			<b>26,61,225</b>	<b>94,95,147</b>	



## परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 102)

दो उ आ एवं तीन स आ से संबंधित सात व्यापारियों के 10 प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण

इकाई का नाम	व्यापारी का टिन नम्बर	कर निर्धारण वर्ष	वर्ष जिसमें कर निर्धारण किया गया	माल का नाम	माल का मूल्य (₹ में)	अन्तरीय कर की दर (₹ में)	देय कर (₹ में)	अदा कर (₹ में)	कर का न्यूनारोपण (₹ में)	टिप्पणी
उ आ (क नि)-II, वा क, रुद्रपुर	05008069067	2009-10	मार्च, 14 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	इपॉक्साइड रेजिन	63,10,811	8.5 % (12.5-4)	7,88,851	2,52,432	5,36,419 (स्वीकृत)	अवर्गीकृत सामग्री अर्थात् अनुसूची II (ख) में अनिर्दिष्ट माल
		2010-11	मार्च, 14 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	-तदैव-	99,85,180	9% (13.5-4.5)	13,47,999	4,49,333	8,98,666 (स्वीकृत)	
		2011-12	मार्च, 15 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	-तदैव-	1,19,76,343	9% (13.5-4.5)	16,16,806	5,38,935	10,77,871 (स्वीकृत)	
	05007507146	2010-11, 2011-12	जुलाई 2014, जनवरी 2015	टेलीकम्यूनिकेशन इक्यूपमेन्ट पार्ट्स	5,69,83,326	9% (13.5-4.5)	76,92,749	25,64,250	51,28,499	
उ आ(क नि)-III, वा क, रुद्रपुर	05009859008	2010-11	फरवरी 2015	कटिंग टूल्स	56,61,101	9% (13.5-4.5)	7,64,249	2,54,750	5,09,499 (स्वीकृत)	
स आ (क नि) खण्ड- III, वा क, हरिद्वार	05008256665	2010-11	फरवरी 2015	रेजिन पाउडर	58,88,853	9% (13.5-4.5)	7,94,995	2,64,998	5,29,997	
स आ (क नि) खण्ड- IV, वा क, रुड़की	5011657776	2011-12	जनवरी 2015	रेजिन पाउडर	7,64,111	9% (13.5-4.5)	1,03,155	34,385	68,770 (स्वीकृत)	
	05009816813	2011-12	नवम्बर 2014	रेजिन पाउडर	12,03,707	9% (13.5-4.5)	1,62,500	54,167	1,08,334 (स्वीकृत)	
स आ(क नि) खण्ड- II, वा क, हरिद्वार	05010793215	2011-12	मार्च 2015	इलेक्ट्रिकल गुड्स	10,54,665	9% (13.5-4.5)	1,42,380	47,460	94,920	
<b>योग</b>									<b>89,52,975</b>	

परिशिष्ट-2.5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 103)

विलंब से कर जमा करने के कारण अर्थदण्ड के अनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	व्यापारी का टिन सं०	माह/तिमाही जिसमें कर देय है	स्वीकृत कर	कर जमा करने की निर्धारित तिथि (अधिसूचना के अनुसार)	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड की धनराशि (देय कर का 10%) स्तम्भ 5 का 10%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		टिन सं०: 05007113617	अप्रैल-2012	35,52,208	25/05/2012	29/05/2012	3,55,221
			फरवरी-2013	42,00,322	25/03/2013	29/03/2013	4,20,032
		<b>योग (1)</b>					
2.	उ आ (क नि)-I, वा क, हरिद्वार	टिन सं०: 05009645705	जुलाई-2012	12,86,647	25/08/2012	05/09/2012	1,28,665
			अगस्त-2012	15,98,297	25/09/2012	28/09/2012	1,59,830
		<b>योग (2)</b>					
3.		टिन सं०: 05005891902	मई-2012	2,13,225	25/06/2012	03/07/2012	21,322
			सितम्बर-2012	1,62,318	25/10/2012	31/10/2012	16,232
			अक्टूबर-2012	1,18,154	25/11/2012	30/11/2012	11,815
			नवम्बर-2012	1,27,102	25/12/2012	24/01/2013	12,710
			दिसम्बर-2012	1,62,550	25/01/2013	28/01/2013	16,255
			जनवरी-2013	2,22,620	25/02/2013	30/03/2013	22,262
			फरवरी-2013	2,65,191	25/03/2013	30/03/2013	26,519
<b>योग (3)</b>						<b>1,27,115</b> (स्वीकृत)	
4.	उ आ (क नि)- II, वा क, हरिद्वार	टिन सं०: 05002157305	अप्रैल-2011	3,12,983	25/05/2011	02/06/2011	31,298
			मई-2011	6,12,978	25/06/2011	29/06/2011	61,298
			जून-2011	4,37,760	25/07/2011	01/08/2011	43,776
			जुलाई-2011	2,09,257	25/08/2011	02/09/2011	20,926
			अगस्त-2011	2,90,176	25/09/2011	29/09/2011	29,018
			सितम्बर-2011	2,57,095	25/10/2011	03/12/2011	25,709
			अक्टूबर-2011	3,16,033	25/11/2011	30/11/2011	31,603
			नवम्बर-2011	7,44,958	25/12/2011	04/01/2012	74,496
			फरवरी-2012	5,65,360	25/03/2012	29/03/2012	56,536
			मार्च-2012	3,02,446	25/04/2012	28/04/2012	30,245
<b>योग (4)</b>						<b>4,04,905</b>	
<b>महा योग (1+2+3+4)</b>							<b>₹ 15,95,768</b>

**परिशिष्ट-2.7.1 अ**  
(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.1; पृष्ठ 107)

**देशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का आरोपण न किया जाना**

आसवनी का नाम	वर्ष	भराई (बी एल में)	मदिरा पर अदा नहीं की गई ड्यूटी (ए एल में)	36% वी/वी के रूप में (बी एल में)	36% वी / वी की दर (₹ में)	न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (₹ में)
बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर	2014-15	91,94,500.80	9,194.50	25,540.28	140	35,75,639.20
	2015-16	70,77,124.80	7,077.12	19,658.68	170	33,41,975.60
	2016-17	65,53,065.60	6,553.07	18,202.96	200	36,40,592.00
<b>योग (अ)</b>		<b>2,28,24,691.20</b>	<b>22,824.6912</b>	<b>63,401.92</b>		<b>1,05,58,206.80</b>
आई ज़ी एल काशीपुर, उधमसिंह नगर	2014-15	99,10,997.28	9,911.00	27,530.55	140	38,54,276.72
	2015-16	1,08,42,941.88	10,842.94	30,119.28	170	51,20,278.11
	2016-17	64,05,463.80	6,405.46	17,792.96	200	35,58,591.00
<b>योग (ब)</b>		<b>2,71,59,402.96</b>	<b>27,159.40296</b>	<b>75,442.786</b>		<b>1,25,33,145.83</b>
<b>योग (अ + ब)</b>		<b>4,99,84,094.16</b>	<b>49,984.0942</b>	<b>1,38,844.706</b>		<b>2,30,91,352.63</b> अर्थात् ₹ 2.31 करोड़

**परिशिष्ट 2.7.1 ब**  
(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.1; पृष्ठ 107)

**विदेशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर आबकारी शुल्क का आरोपण न किया जाना**

आसवनी का नाम	वर्ष	भराई (बी एल में)	मदिरा पर अदा नहीं की गई ड्यूटी (ए एल में)	शुल्क की दर (₹ में)	आबकारी शुल्क (₹ में)
आई ज़ी एल काशीपुर, उधमसिंह नगर	2014-15	27,09,492.12	2,709.49212	110	2,98,044.1332
	2015-16	43,29,415.80	4,329.4158	135	5,84,471.133
	2016-17	40,58,730.36	4,058.73036	155	6,29,103.2058
<b>योग</b>		<b>1,10,97,638.28</b>			<b>15,11,618.472</b> अर्थात् ₹ 0.15 करोड़

परिशिष्ट-2.7.2 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 1; पृष्ठ 108)

किण्वन दक्षता प्राप्त न करना

क्रम सं.	आसवनी का नाम	वर्ष	ओ टी नम्बर	प्रयुक्त शीरा (कुंतल में)	रिपोर्ट के अनुसार कि श का प्रतिशत	शीरे में मौजूद कि श (कुंतल में)	मानदंडों के अनुसार उत्पादित अल्कोहल (64.4 ए एल प्रति कुंतल कि श से) (ए एल में)	84% कि श बनाए रखते हुए अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था (ए एल में)	वॉश में वास्तविक अल्कोहल (ए एल में)	अंतर (ए एल में)	ड्यूटी की दर (₹ में)	सम्मिलित शुल्क (₹ में)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आई जी एल काशीपुर (बैच प्लांट)	2014-15	60, 61, 62	24,677	44.47	10,973.86	7,06,716.71	5,93,642.03	5,90,295.30	3,346.73	110	3,68,141
2.		2014-15	77, 78, 79	21,972	44.49	9,775.34	6,29,532.08	5,28,806.94	5,28,547.70	259.24	110	28,517
3.		2014-15	92, 93	15,560	44.37	6,903.97	4,44,615.80	3,73,477.27	3,73,210.20	267.07	110	29,378
4.		2014-15	95, 96, 97	24,776	44.48	11,020.36	7,09,711.49	5,96,157.65	5,96,031.10	126.55	110	13,921
5.		2014-15	122, 123, 124	24,851	44.49	11,056.21	7,12,019.92	5,98,096.73	5,94,167.10	3,929.63	110	4,32,259
6.		2014-15	125, 126, 127	24,839	44.41	11,031.00	7,10,396.39	5,96,732.97	5,90,242.70	6,490.27	110	7,13,930
7.		2014-15	137, 138, 139	23,932	42.79	10,240.50	6,59,488.38	5,53,970.24	5,50,135.60	3,834.64	110	4,21,810
8.		2014-15	140	1,850	42.68	789.58	50,848.95	42,713.12	42,204.60	508.52	110	55,937
9.		2014-15	143, 144, 145	22,981	41.69	9,580.78	6,17,002.16	5,18,281.82	5,13,872.30	4,409.52	110	4,85,047
10.		2014-15	146, 147, 148	21,997	42.63	9,377.32	6,03,899.48	5,07,275.56	4,99,645.40	7,630.16	110	8,39,318
11.		2014-15	149, 150, 151	24,773	42.61	10,555.78	6,79,791.93	5,71,025.22	5,64,701.80	6,323.42	110	6,95,576
12.		2014-15	165, 166	13,680	40.23	5,503.46	3,54,423.08	2,97,715.39	2,93,822.40	3,892.99	110	4,28,229
13.		2016-17	20, 30, 40	25,040	41.49	10,389.10	6,69,057.78	5,62,008.54	5,61,067.60	940.94	155	1,45,845
14.		2016-17	33	6,739	41.27	2,781.19	1,79,108.33	1,50,451.00	1,49,227.80	1,223.20	155	1,89,596
15.		2016-17	36, 37, 38	25,963	41.43	10,756.47	6,92,716.73	5,81,882.05	5,74,868.40	7,013.65	155	10,87,116
16.		2016-17	45, 46, 47	20,205	40.95	8,273.95	5,32,842.22	4,47,587.46	4,43,938.90	3,648.56	155	5,65,527
17.		2016-17	48, 49, 50	26,149	40.97	10,713.25	6,89,933.00	5,79,543.72	5,70,451.10	9,092.62	155	14,09,356
18.		2016-17	51, 52, 53	22,117	41.03	9,074.61	5,84,404.57	4,90,899.84	4,89,307.50	1,592.34	155	2,46,812
19.		2016-17	55, 56, 57	24,091	40.09	9,658.08	6,21,980.47	5,22,463.60	5,17,897.30	4,566.30	155	7,07,776
20.		2016-17	58, 59, 60	26,142	40.03	10,464.64	6,73,922.98	5,66,095.31	5,59,529.90	6,565.41	155	10,17,638
21.		2016-17	61, 62, 63	26,154	39.91	10,438.06	6,72,211.15	5,64,657.37	5,58,166.50	6,490.87	155	10,06,085
22.		2016-17	64, 65, 66	24,129	39.89	9,625.06	6,19,853.74	5,20,677.14	5,12,954.90	7,722.24	155	11,96,948
23.		2016-17	105, 106, 107	25,032	43.11	10,791.30	6,94,959.41	5,83,765.91	5,76,540.90	7,225.01	155	11,19,876
24.		2016-17	110, 111, 112	16,340	43.15	7,050.71	4,54,065.72	3,81,415.21	3,80,595.60	819.61	155	1,27,039
25.		2016-17	113, 114	9,660	43.29	4,181.81	2,69,308.82	2,26,219.41	2,23,069.90	3,149.51	155	4,88,174
26.		2016-17	115	8,160	43.11	3,517.78	2,26,544.77	1,90,297.61	1,88,714.20	1,583.41	155	2,45,429
27.		2016-17	116, 117, 118	14,403	43.17	6,217.78	4,00,424.72	3,36,356.76	3,31,945.10	4,411.66	155	6,83,808

28.	आई जी एल काशीपुर, (ई एन ए प्लांट)	2014-15	91	8,825	43.49	3,837.99	2,47,166.72	2,07,620.04	2,04,662.00	2,958.04	110	3,25,385	
29.		2014-15	92	8,200	43.53	3,569.46	2,29,873.22	1,93,093.51	1,90,209.10	2,884.41	110	3,17,285	
30.		2014-15	113, 114	13,840	43.93	6,079.91	3,91,546.33	3,28,898.92	3,28,101.80	797.12	110	87,683	
31.		2016-17	67	1,325	39.89	528.54	34,038.14	28,592.04	28,553.90	38.14	155	5,911	
32.		2016-17	91, 92	14,614	42.97	6,279.64	4,04,408.55	3,39,703.18	3,37,506.60	2,196.58	155	3,40,470	
33.		2016-17	100	8,040	42.97	3,454.79	2,22,488.35	1,86,890.21	1,83,949.10	2,941.11	155	4,55,872	
34.		2016-17	101, 102, 103	19,938	43.39	8,651.10	5,57,130.72	4,67,989.81	4,61,668.10	6,321.71	155	9,79,865	
35.		2016-17	119, 120, 121	18,613	43.07	8,016.62	5,16,270.27	4,33,667.03	4,30,761.70	2,905.33	155	4,50,326	
36.	2016-17	122, 123, 124	16,938	43.15	7,308.75	4,70,683.31	3,95,373.98	3,94,651.30	722.68	155	1,12,015		
37.	आई जी एल काशीपुर, (पराज / कंटिन्युस प्लांट)	2014-15	61, 62, 63	24,717	44.48	10,994.12	7,08,021.43	5,94,738.00	5,92,549.60	2,188.40	110	2,40,724	
38.		2014-15	64, 65, 66	24,711	44.47	10,988.98	7,07,690.42	5,94,459.95	5,90,711.60	3,748.35	110	4,12,319	
39.		2014-15	76	8,226	44.47	3,658.10	2,35,581.78	1,97,888.70	1,96,465.60	1,423.10	110	1,56,541	
40.		2014-15	77, 78, 79	23,812	44.51	10,598.72	6,82,557.65	5,73,348.42	5,72,418.40	930.02	110	1,02,302	
41.		2014-15	92, 93, 94	20,205	42.77	8,641.68	56,524.10	4,67,480.24	4,60,962.80	6,517.44	110	7,16,918	
42.		2014-15	99, 100, 101	16,503	40.29	6,649.06	4,28,199.38	3,59,687.48	3,57,085.60	2,601.88	110	2,86,207	
43.		2015-16	50, 51	13,551	41.23	5,587.08	3,59,807.78	3,02,238.53	3,02,059.10	179.43	135	24,224	
44.		2015-16	76, 77	6,724	42.11	2,831.48	1,82,347.08	1,53,171.55	1,52,767.60	403.95	135	54,533	
45.		2016-17	08, 09	15,430	41.65	6,426.60	4,13,872.72	3,47,653.08	3,45,978.00	1,675.08	155	2,59,638	
46.		2016-17	10, 11, 12	24,212	41.11	9,953.55	6,41,008.83	5,38,447.41	5,35,386.90	3,060.51	155	4,74,380	
47.		2016-17	18, 19, 20	24,042	41.39	9,950.98	6,40,843.36	5,38,308.42	5,32,455.40	5,853.02	155	9,07,218	
48.		2016-17	27, 28, 29	13,566	40.97	5,557.99	3,57,934.57	3,00,665.04	2,97,400.00	3,265.04	155	5,06,081	
49.		2016-17	39, 40, 41	21,234	39.99	8,491.48	5,46,851.09	4,59,354.92	4,57,725.30	1,629.62	155	2,52,591	
50.		2016-17	42, 43, 44	20,334	39.85	8,103.10	5,21,839.58	4,38,345.24	4,36,812.70	1,532.54	155	2,37,544	
51.		2016-17	61, 62, 63	18,076	43.01	7,774.49	5,00,677.00	4,20,568.68	4,18,652.90	1,915.78	155	2,96,946	
52.		2016-17	70, 71, 72	21,181	43.25	9,160.78	5,89,954.39	4,95,561.69	4,93,055.60	2,506.09	155	3,88,444	
53.		आई जी एल, पराज/ कंटिन्युस (बकाई)	2014-15	03, 04, 05	2,283	44.55	1,017.08	65,499.73	55,019.77	54,476.70	543.07	110	59,738
54.	2016-17		01, 02, 03	2,984	41.39	1,235.08	79,539.00	66,812.76	66,733.60	79.16	155	12,269	
55.	2016-17		31, 32, 33	2,880	43.09	1,240.99	79,919.88	67,132.70	66,382.90	749.80	155	1,16,220	
योग (राउन्डेड ऑफ) - अ				9,61,216	2,333	4,07,330	2,62,32,056	2,20,34,927	2,18,65,296	1,69,631	7,495	2,33,28,734	
56.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2015-16	77, 78, 79	19,200	42.91	8,238.72	5,30,573.57	4,45,681.80	4,45,180.80	501.00	135	67,635	
57.		2016-17	44, 45, 46	12,885	43.71	5,632.03	3,62,702.96	3,04,670.48	3,03,012.40	1,658.08	155	2,57,003	
58.		2016-17	47, 48, 49	16,800	43.77	7,353.36	4,73,556.38	3,97,787.36	3,97,361.70	425.66	155	65,978	
योग (राउन्डेड ऑफ) - ब				48,885	130	21,224	13,66,833	11,48,140	11,45,555	2,585	445	3,90,615	
59.	दून वैली आसवनी, कुआँवाला, देहरादून	2014-15	22, 23, 24	4,128	37.23	1,536.85	98,973.42	83,137.68	82,394.56	743.12	110	8,1743	
60.		2014-15	73, 74, 75	4,238	37.79	1,601.54	1,03,139.19	86,636.92	83,918.03	2,718.89	110	2,99,078	
61.		2015-16	25, 26, 27	3,957	39.45	1,561.04	1,00,530.75	84,445.83	84,411.38	34.45	135	4,651	
62.		2016-17	25, 26, 27	4,324	41.11	1,777.60	1,14,477.21	96,160.85	96,067.91	92.94	155	14,406	
63.		2016-17	22, 23, 24	3,780	38.71	1,463.24	94,232.53	79,155.32	79,141.64	13.68	155	2,121	
योग (राउन्डेड ऑफ) - स				20,427	194	7,940	5,11,353	4,29,537	4,25,934	3,603	665	4,01,999	
कुल योग (अ + ब + स)							2,81,10,242	2,36,12,603	2,34,36,784	1,75,819		2,41,21,348	अर्थात् ₹ 2.41 करोड़

परिशिष्ट-2.7.2 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 2; पृष्ठ 109)

न्यूनतम आसवन दक्षता (डी ई) प्राप्त न करना

आसवनी का नाम	अवधि	वॉश में मौजूद अल्कोहल (ए एल में)	97% आसवन दक्षता रखते हुए अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था (ए एल में)	वास्तविक उत्पादित अल्कोहल (ए एल में)	अंतर (ए एल में)	आबकारी शुल्क की दर (₹ प्रति ए एल)	शामिल आबकारी शुल्क
आर बी एन एस शुगर मिल, डिस्टिलरी डिविजन, लक्सर	15.04.2015 से 17.04.2015	1,62,339.00	1,57,468.83	1,51,699.50	5,769.33	135	7,78,860
	04.06.2015 से 05.06.2015	1,06,525.30	1,03,329.54	1,01,349.40	1,980.14	135	2,67,319
दून वैली डिस्टिलरी, कुआँवाला, देहरादून	18.04.2014 से 20.04.2014	30,154.10	29,249.48	29,234.40	15.08	110	1,658
	30.05.2015 से 02.06.2015	22,273.85	21,605.63	20,625.10	980.53	135	1,32,372
	12.10.2015 से 15.10.2015	31,279.75	30,341.36	28,410.00	1,931.36	135	2,60,733
	21.12.2015 से 23.12.2015	32,104.25	31,141.12	31,097.60	43.52	135	5,876
	19.06.2016 से 17.06.2016	26,319.93	25,530.33	24,791.20	739.13	155	1,14,565
<b>योग</b>		<b>4,10,996.18</b>	<b>3,98,666.29</b>	<b>3,87,207.20</b>	<b>11,459.09</b>		<b>15,61,383</b> अर्थात् ₹ 0.16 करोड़

## परिशिष्ट-2.7.2 स

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 3; पृष्ठ 109)

## टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी आर एस) की पारगमन के दौरान हानि

आसवनी का नाम	वर्ष	प्राप्त शीरा (कुंतल में)	टी आर एस का विवरण (% में)			टी आर एस के कुंतल में अंतर	कि श की मात्रा (टी आर एस का 88%) (कुंतल में)	उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए एल कि श के प्रति कुंतल से)	आबकारी शुल्क की दर (₹ / ए एल)	सम्मिलित ड्यूटी (₹ में)
			प्रेषित	प्राप्त	अंतर					
आर बी एन एस शुगर मिल, आसवनी डिवीजन, लक्सर, हरिद्वार	2014-15	336.95	46.27	46.23	0.04	0.13478	0.1186064	6.226836	110	685
	2014-15	340.40	46.23	46.10	0.13	0.44252	0.3894176	20.444424	110	2,249
	2014-15	345.80	46.23	46.10	0.13	0.44954	0.3955952	20.768748	110	2,285
	2014-15	355.60	46.23	46.10	0.13	0.46228	0.4068064	21.357336	110	2,349
	2014-15	351.60	46.23	46.10	0.13	0.45708	0.4022304	21.117096	110	2,323
	2014-15	336.75	46.23	46.10	0.13	0.437775	0.385242	20.225205	110	2,225
	2014-15	348.20	46.23	46.10	0.13	0.45266	0.3983408	20.912892	110	2,300
	2014-15	350.00	46.23	46.10	0.13	0.455	0.4004	21.021	110	2,312
	2014-15	352.20	46.23	46.10	0.13	0.45786	0.4029168	21.153132	110	2,327
	2014-15	334.50	46.23	46.10	0.13	0.43485	0.382668	20.09007	110	2,210
	2014-15	349.00	46.23	46.10	0.13	0.4537	0.399256	20.96094	110	2,306
	2014-15	334.70	46.23	46.10	0.13	0.43511	0.3828968	20.102082	110	2,211
	2015-16	6,265.00	47.20	47.00	0.20	12.53	11.0264	578.886	135	78,150
	2016-17	3,325.00	46.92	46.20	0.72	23.94	21.0672	1,106.028	155	1,71,434
2016-17	5,530.00	46.90	46.20	0.70	38.71	34.0648	1,788.402	155	2,77,202	
<b>योग (अ)</b>		<b>19,255.70</b>				<b>80.253155</b>		<b>3,707.695761</b>		<b>5,52,568</b>
बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर	2015-16	941.85	45.56	45.5	0.06	0.56511	0.4972968	26.108082	135	3,525
<b>योग (ब)</b>		<b>941.85</b>	<b>45.56</b>	<b>45.5</b>	<b>0.06</b>	<b>0.56511</b>	<b>0.4972968</b>	<b>26.108082</b>	<b>135</b>	<b>3,525</b>
<b>महायोग (अ + ब)</b>		<b>20,197.55</b>				<b>80.818265</b>	<b>71.120073</b>	<b>3,733.8038</b>		<b>5,56,093</b> अर्थात् ₹ 5.56 लाख

परिशिष्ट-2.7.2 द

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 3; पृष्ठ 109)

शीरे की पारगमन में हानि

आसवनी का नाम	वर्ष	टी आर एस (%)	शीरे का विवरण (कुंतल में)			टी आर एस के कुंतल में अंतर	कि श की मात्रा (टी आर एस का 88% कुंतल में)	उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए एल प्रति कुंतल कि श में)	आबकारी शुल्क की दर (₹ प्रति ए एल)	अंतर्निहित ड्यूटी (₹ में)
			प्रेषित	प्राप्त	अंतर					
आर बी एन एस शुगर मिल, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2016-17	47.2	3,255	3,225	30	14.16	12.4608	654.19	135	88,316 अर्थात् ₹ 0.88 लाख
कुल (परिशिष्ट स+द)										₹ 6.44 लाख (अर्थात् ₹ 0.06 करोड़)



## परिशिष्ट-2.7.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.3.1; पृष्ठ 113)

वर्षा काल के दौरान अनाधिकृत उत्पादन

क्रम सं.	आसवानी का नाम	वर्ष	अवधि	आउट टर्न नंबर	उत्पादन (ए एल में)	आबकारी इयूटि/ ए एल	अर्थदंड की दर/ ए एल (आबकारी इयूटि का 10 गुना)	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 15 के जुर्माना	कुल दंड जुर्माने सहित (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (कॉल 7*10)	9 (कॉल 6*कॉल 8)	10	11 (कॉल 9+ कॉल 10)
1.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2015-16	12.09.15 से 16.09.15	37	1,49,887.10	135.00	1,350	20,23,47,585.00	1,00,000	20,24,47,585.00
2.		2016-17	30-08-16 से 01-09-16	27	1,00,964.00	155.00	1,550	15,64,94,200.00	1,00,000	15,65,94,200.00
3.			01-09-16 से 04-09-16	28	1,91,777.10	155.00	1,550	29,72,54,505.00	1,00,000	29,73,54,505.00
4.			05-09-16 से 06-09-16	29	64,110.30	155.00	1,550	9,93,70,965.00	1,00,000	9,94,70,965.00
5.			07-09-16 से 09-09-16	30	81,691.00	155.00	1,550	12,66,21,050.00	1,00,000	12,67,21,050.00
6.			10-09-16 से 12-09-16	31	80,171.80	155.00	1,550	12,42,66,290.00	1,00,000	12,43,66,290.00
7.			14-09-16 से 15-09-16	32	58,777.00	155.00	1,550	9,11,04,350.00	1,00,000	9,12,04,350.00
8.			17-09-16 से 18-09-16	33	60,500.70	155.00	1,550	9,37,76,085.00	1,00,000	9,38,76,085.00
9.			20-09-16 से 21-09-16	34	59,919.20	155.00	1,550	9,28,74,760.00	1,00,000	9,29,74,760.00
10.			26-09-16 से 27-09-16	35	58,777.00	155.00	1,550	9,11,04,350.00	1,00,000	9,12,04,350.00
योग (अ)					9,06,575.20			1,37,52,14,140.00	10,00,000	1,37,62,14,140.00
11.	दूल वैली आसवनी, कुआँवाला, देहरादून	2016-17	03-07-16 से 06-07-16	23	26,015.60	155.00	1,550	4,03,24,180.00	1,00,000	4,04,24,180.00
12.			07-07-16 से 09-07-16	24	22,338.30	155.00	1,550	3,46,24,365.00	1,00,000	3,47,24,365.00
योग (ब)					48,353.90			7,49,48,545.00	2,00,000	7,51,48,545.00
13.	बाजपुर आसवनी बाजपुर, उधम सिंह नगर	2014-15	25-09-14 से 01-10-14	9	82,960.20	110.00	1,100	9,12,56,220.00	1,00,000	9,13,56,220.00
14.		2015-16	12-08-15 से 19-08-15	14	66,968.60	135.00	1,350	9,04,07,610.00	1,00,000	9,05,07,610.00
15.			20-08-15 से 22-08-15	15	58,204.60	135.00	1,350	7,85,76,210.00	1,00,000	7,86,76,210.00
16.			22-08-15 से 25-08-15	16	65,994.10	135.00	1,350	8,90,92,035.00	1,00,000	8,91,92,035.00
17.			25-08-15 से 28-08-15	17	52,224.50	135.00	1,350	7,05,03,075.00	1,00,000	7,06,03,075.00
18.			29-08-15 से 31-08-15	18	55,616.10	135.00	1,350	7,50,81,735.00	1,00,000	7,51,81,735.00
19.			01-09-15 से 06-09-15	19	71,232.90	135.00	1,350	9,61,64,415.00	1,00,000	9,62,64,415.00
20.			06-09-15 से 08-09-15	20	61,495.10	135.00	1,350	8,30,18,385.00	1,00,000	8,31,18,385.00
21.			09-09-15 से 11-09-15	21	66,214.80	135.00	1,350	8,93,89,980.00	1,00,000	8,94,89,980.00
22.			12-09-15 से 13-09-15	22	40,375.00	135.00	1,350	5,45,06,250.00	1,00,000	5,46,06,250.00
23.			2016-17	01-07-16 से 05-07-16	2	77,222.50	155.00	1,550	11,96,94,875.00	1,00,000
24.		05-07-16 से 07-07-16		3	63,902.90	155.00	1,550	9,90,49,495.00	1,00,000	9,91,49,495.00
25.		08-07-16 से 11-07-16		4	59,023.70	155.00	1,550	9,14,86,735.00	1,00,000	9,15,86,735.00
योग (स)					8,21,435.00			1,12,82,27,020.00	13,00,000	1,12,95,27,020.00
महायोग (अ+ब+स)					17,76,364.10			2,57,83,89,705.00	25,00,000	2,58,08,89,705.00 (अर्थात ₹ 258.09 करोड़)

परिशिष्ट-2.7.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.3.2., पृष्ठ 114)

प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन

क्रम सं.	आसवनी का नाम और प्रतिदिन उत्पादन क्षमता (बी एल)	उत्पादन की अवधि	दिन	उत्पादन (बी एल में)	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन होना चाहिए था	अधिक उत्पादन (बी एल में)	औसत तीव्रता (% में)	अधिक उत्पादन (ए एल में)	दंड की दर/ ए एल @ आबकारी शुल्क का 10 गुना	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जुर्माना
1.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार 60,000	14.05.14/0700 से 16.05.14/1200	3	1,85,008.35	1,80,000	5,008.35	94.36	4,725.88	1,100	51,98,466.97	1,00,000
2.		02.03.16/1545 से 05.03.16/0315	3	1,92,319.70	1,80,000	12,319.70	99.80	12,295.06	1,350	1,65,98,331.81	1,00,000
3.		30.04.16/1545 से 02.05.16/1515	2	1,40,973.70	1,20,000	20,973.70	99.80	20,931.75	1,550	3,24,44,216.53	1,00,000
4.		03.05.16/0330 से 05.05.16/1415	3	1,84,136.90	1,80,000	4,136.90	99.80	4,128.63	1,550	63,99,370.61	1,00,000
5.		06.05.16/0200 से 08.05.16/1300	3	1,84,135.90	1,80,000	4,135.90	99.80	4,127.63	1,550	63,97,823.71	1,00,000
6.		09.05.16/0100 से 11.05.16/1145	3	1,83,933.90	1,80,000	3,933.90	99.80	3,926.03	1,550	60,85,349.91	1,00,000
7.		11.05.16/2330 से 13.05.16/1130	2	1,28,385.00	1,20,000	8,385.00	99.80	8,368.23	1,550	12,97,0,756.50	1,00,000
8.		22.05.16/1200 से 24.05.16/2300	3	1,84,136.10	1,80,000	4,136.10	99.80	4,127.83	1,550	63,98,133.09	1,00,000
9.		25.05.16/1100 से 27.05.16/0800	2	1,53,341.60	1,20,000	33,341.60	99.80	3,3274.92	1,550	5,15,76,121.04	1,00,000
10.		27.05.16/1900 से 28.05.16/0630	1	63,297.00	60,000	3,297.00	99.80	3,290.41	1,550	51,00,129.30	1,00,000
11.		05.12.16/1230 से 07.12.16/1345	2	1,43,131.30	1,20,000	23,131.30	96.73	22,374.91	1,550	3,46,81,105.06	1,00,000
12.		25.01.17/1545 से 27.01.17/1245	2	1,26,036.40	1,20,000	6,036.40	98.27	5,931.97	1,550	91,94,553.93	1,00,000
13.		28.01.17/0200 से 29.01.17/1730	2	1,28,447.40	1,20,000	8,447.40	97.50	8,236.21	1,550	1,27,66,133.25	1,00,000
14.		30.01.17/0800 से 30.01.17/2200	1	64,077.70	60,000	4,077.70	95.20	3,881.97	1,550	60,17,054.12	1,00,000
15.		02.02.17/0600 से 03.02.17/2230	2	1,28,451.20	1,20,000	8,451.20	97.50	8,239.92	1,550	1,27,71,876.00	1,00,000
16.		04.02.17/1100 से 06.02.17/0045	2	1,28,589.20	1,20,000	8,589.20	97.50	8,374.47	1,550	1,29,80,428.50	1,00,000
17.		06.02.17/1215 से 08.02.17/2330	3	1,84,770.00	1,80,000	4,770.00	98.27	4,687.48	1,550	72,65,592.45	1,00,000
18.		09.02.17/1130 से 11.02.17/2145	3	1,87,746.60	1,80,000	7,746.60	96.73	7,493.29	1,550	1,16,14,593.58	1,00,000
19.		12.02.17/1100 से 14.02.17/2215	3	1,88,070.30	1,80,000	8,070.30	96.73	7,806.40	1,550	1,20,99,921.84	1,00,000
20.		15.02.17/0930 से 17.02.17/1645	3	1,87,254.80	1,80,000	7,254.80	97.50	7,073.43	1,550	1,09,63,816.50	1,00,000
21.		18.02.17/0330 से 20.02.17/1415	3	1,88,062.40	1,80,000	8,062.40	96.73	7,798.76	1,550	1,20,88,077.26	1,00,000
22.		21.02.17/0200 से 23.02.17/1230	3	1,88,102.00	1,80,000	8,102.00	96.73	7,837.06	1,550	1,21,47,450.13	1,00,000
23.		23.02.17/2345 से 25.02.17/1000	2	1,21,715.10	1,20,000	1,715.10	99.80	1,711.67	1,550	26,53,088.19	1,00,000
24.		28.02.17/1015 से 02.03.17/2215	3	1,81,485.60	1,80,000	1,485.60	96.73	1,437.02	1,550	22,27,382.36	1,00,000
25.		03.03.17/1000 से 05.03.17/2045	3	1,82,709.50	1,80,000	2,709.50	96.73	2,620.90	1,550	40,62,393.99	1,00,000
26.		06.03.17/0800 से 08.03.17/0400	2	1,53,219.80	1,20,000	33,219.80	97.50	32,389.31	1,550	5,02,03,422.75	1,00,000
27.		30.03.17/0330 से 31.03.17/0315	1	92,831.10	60,000	32,831.10	95.20	31,255.21	1,550	4,84,45,571.16	1,00,000
<b>योग (अ)</b>						<b>2,74,368.55</b>		<b>2,68,346.35</b>		<b>41,13,51,160.55</b> (₹ 41.14 करोड़)	<b>27,00,000</b>

क्रम सं.	आसवनी का नाम और प्रतिदिन उत्पादन क्षमता (बी एल)	उत्पादन की अवधि	दिन	उत्पादन (बी एल में)	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन होना चाहिए था	अधिक उत्पादन (बी एल में)	औसत तीव्रता (% में)	अधिक उत्पादन (ए एल में)	दंड की दर/ ए एल @ आबकारी शुल्क का 10 गुना	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जुर्माना
28.	बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर 20,000	27.03.14/12.30 पी एम से 29.03.14/7.40 पी एम	3	73,862.60	60,000	13,862.60	93.93	13,021.14	1,100	1,43,23,254.20	1,00,000
29.		30.03.2014/3.15 ए एम से 01.04.2014/10.00 ए एम	3	73,580.30	60,000	13,580.30	94.27	12,802.15	1,100	1,40,82,363.69	1,00,000
30.		01.04.2014/3.35 पी एम से 04.04.2014/10.00 ए एम	3	74,938.50	60,000	14,938.50	93.97	14,037.71	1,100	1,54,41,479.30	1,00,000
31.		08.04.14/5.45 ए एम से 10.04.14/2.45 पी एम	3	72,796.20	60,000	12,796.20	97.90	12,527.48	1,100	1,37,80,227.78	1,00,000
32.		10.04.14/11 पी एम से 13.04.2014/12.25 ए एम	3	65,779.80	60,000	5,779.80	97.90	5,658.42	1,100	62,24,266.62	1,00,000
33.		18.04.2014/3.10 ए एम से 20.04.2014/11.30 ए एम	3	60,196.80	60,000	196.80	98.30	193.45	1,100	2,12,799.84	1,00,000
34.		24.10.2014/11 ए एम से 26.10.2014/3.15 पी एम	3	62,567.60	60,000	2,567.60	94.40	2,423.81	1,100	26,66,195.84	1,00,000
35.		09.11.2014/9.25 ए एम से 12.11.2014/4.10 ए एम	3	61,016.70	60,000	1,016.70	94.93	965.15	1,100	10,61,668.64	1,00,000
36.		20.12.2014/11 ए एम से 24.12.2014/2.05 ए एम	4	81,367.00	80,000	1,367.00	95.90	1,310.95	1,100	14,42,048.30	1,00,000
37.		26.01.2015/11.50 ए एम से 30.01.2015/9.00 ए एम	4	89,126.00	80,000	9,126.00	95.40	8,706.20	1,100	95,76,824.40	1,00,000
38.		07.02.2015/9.00 ए एम से 10.02.2015/11.30 पी एम	4	84,307.30	80,000	4,307.30	94.17	4,056.18	1,100	44,61,802.85	1,00,000
39.		14.02.2015/8.00 पी एम से 18.02.2015/9.20 ए एम	4	84,080.00	80,000	4,080.00	94.03	3,836.42	1,100	42,20,066.40	1,00,000
40.		16.05.2015/3.00 पी एम से 18.05.2015/3.50 पी एम	3	63,056.40	60,000	3,056.40	98.97	3,024.92	1,350	40,83,640.76	1,00,000
41.		04.06.2015/4.00 पी एम से 07.06.2015/6.10 ए एम	3	66,840.20	60,000	6,840.20	94.20	6,443.47	1,350	86,98,682.34	1,00,000
42.		30.09.2015/2.00 पी एम से 02.10.2015/8.10 पी एम	3	65,995.70	60,000	5,995.70	94.33	5,655.74	1,350	76,35,254.14	1,00,000
43.		03.10.2015/4.00 ए एम से 05.10.2015/अंत का दिन	3	76,284.40	60,000	16,284.40	94.40	1,5372.47	1,350	2,07,52,839.36	1,00,000
44.		6.10.2015/शुष्मात का दिन से 8.10.2015/अंत का दिन	3	61,106.00	60,000	1,106.00	94.27	1,042.63	1,350	14,07,545.37	1,00,000
45.		6.11.2015/शुष्मात का दिन से 8.11.2015/अंत का दिन	3	64,439.50	60,000	4,439.50	94.70	4,204.21	1,350	56,75,678.78	1,00,000
46.		8.11.2015/शुष्मात का दिन से 10.11.2015/अंत का दिन	3	60,267.80	60,000	267.80	94.77	253.79	1,350	3,42,621.98	1,00,000
47.		23.11.2015/शुष्मात का दिन से 25.11.2015/अंत का दिन	3	66,687.00	60,000	6,687.00	94.73	6,334.60	1,350	85,51,703.39	1,00,000
48.		16.12.2015/शुष्मात का दिन से 18.12.2015/अंत का दिन	3	67,468.00	60,000	7,468.00	94.97	7,092.36	1,350	95,74,685.46	1,00,000
49.		27.12.2015/शुष्मात का दिन से 29.12.2015/अंत का दिन	3	64,620.40	60,000	4,620.40	95.50	4,412.48	1,350	59,56,850.70	1,00,000
50.		30.12.2015/शुष्मात का दिन से 01.01.2016/अंत का दिन	3	66,676.80	60,000	6,676.80	95.20	6,356.31	1,350	85,81,023.36	1,00,000
51.		17.02.2016/शुष्मात का दिन से 19.02.2016/अंत का दिन	3	70,368.00	60,000	10,368.00	94.80	9,828.86	1,350	1,32,68,966.40	1,00,000
52.		05.03.2016/शुष्मात का दिन से 07.03.2016/अंत का दिन	3	65,400.00	60,000	5,400.00	94.63	5,110.02	1,550	79,20,531.00	1,00,000
53.		14.03.2016/शुष्मात का दिन से 16.03.2016/अंत का दिन	3	65,720.70	60,000	5,720.70	94.20	5,388.90	1,550	83,52,794.07	1,00,000
54.		17.03.2016/शुष्मात का दिन से 19.03.2016/अंत का दिन	3	72,835.10	60,000	12,835.10	93.87	12,048.31	1,550	1,86,74,877.97	1,00,000
55.		28.03.2016/शुष्मात का दिन से 30.03.2016/अंत का दिन	3	67,162.30	60,000	7,162.30	94.23	6,749.04	1,550	1,04,61,004.70	1,00,000
56.		29.06.2016/10.00 ए एम से 02.07.2016/07.35 ए एम	3	69,284.50	60,000	9,284.50	93.83	8,711.65	1,550	1,35,03,051.84	1,00,000
57.		22.10.2016/3.10 ए एम से 24.10.2016/10.45 पी एम	3	78,149.50	60,000	18,149.50	94.40	17,133.13	1,550	2,65,56,348.40	1,00,000
58.		28.10.2016/8.45 ए एम से 30.10.2016/11.45 ए एम	3	68,463.50	60,000	8,463.50	94.77	8,020.86	1,550	1,24,32,331.37	1,00,000
59.		31.10.2016/7.40 ए एम से 03.11.2016/2.15 ए एम	3	69,380.60	60,000	9,380.60	94.70	8,883.43	1,550	1,37,69,313.71	1,00,000
60.		03.11.2016/10.15 ए एम से 06.11.2016/4.30 ए एम	3	78,466.00	60,000	18,466.00	94.77	17,500.23	1,550	2,71,25,353.71	1,00,000

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

61.		06.11.2016/1235 पी एम से 08.11.2016/12 की सुब्ह	2	63,281.00	40,000	23,281.00	95.70	22,279.92	1,550	3,45,33,871.35	1,00,000
62.		09.11.2016/9.00 ए एम से 11.11.2016/5.30 पी एम	3	68,671.10	60,000	8,671.10	94.93	8,231.48	1,550	1,27,58,786.61	1,00,000
63.		17.11.2016/3.00 पी एम से 18.11.2016/11.00 पी एम	2	53,882.50	40,000	13,882.50	95.73	13,289.72	1,550	2,05,99,061.74	1,00,000
64.		16.12.2016/4.00 ए एम से 18.12.2016/10.20 पी एम	3	67,882.30	60,000	7,882.30	95.45	7,523.66	1,550	1,16,61,665.79	1,00,000
65.		19.12.2016/7.00 ए एम से 21.12.2016/4.20 पी एम	3	66,703.60	60,000	6,703.60	95.70	6,415.35	1,550	99,43,785.06	1,00,000
66.		31.12.2016/8.45 पी एम से 03.01.2017/6.35 ए एम	3	76,313.70	60,000	16,313.70	95.57	15,591.00	1,550	2,41,66,054.79	1,00,000
67.		03.01.2017/3.15 पी एम से 06.01.2017/4.20 ए एम	3	64,336.00	60,000	4,336.00	95.50	4,140.88	1,550	64,18,364.00	1,00,000
68.		11.01.2017/6.50 ए एम से 13.01.2017/8.00 पी एम	3	71,758.90	60,000	11,758.90	95.80	11,265.03	1,550	1,74,60,790.61	1,00,000
69.		17.01.2017/10.25 पी एम से 20.01.2017/10.00 ए एम	3	65,220.50	60,000	5,220.50	95.87	5,004.89	1,550	77,57,584.69	1,00,000
<b>योग (ब)</b>						<b>3,50,340.80</b>		<b>3,32,848.40</b>		<b>46,61,18,061.31</b> <b>(₹ 46.61 करोड़)</b>	<b>42,00,000.00</b>
<b>योग (अ+ब)</b>											<b>69,00,000.00</b> <b>(₹ 69 लाख)</b>

## परिशिष्ट-2.8.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 118)

दो स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों (देहरादून) और तीन स्टोन क्रैशर स्वामियों (चमोली) के 21 अनुबन्धों के संबंध में स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्क्रीनिंग प्लांट/स्टोन क्रैशर का नाम	भू-स्वामी का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (01 हेक्ट=12 बीघा या 50 नाली)	किराया (प्रति माह / प्रति वर्ष) (₹ में)	पट्टे की अवधि	मुआवजा मूल्य (अगले हजार में पूर्णांकित) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कालम 8 के मूल्य का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान दिया गया स्टाम्प शुल्क (₹ में) (भुगतान की तिथि)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (कॉलम 9-कॉलम 10)	12
1.	जिला खनन अधिकारी, देहरादून	पछुवादून स्क्रीनिंग प्लांट, विकास नगर, देहरादून	श्री सुनित पाल अग्रवाल	1.4850 हेक्ट या 17.82 बीघा	27,583 <sup>8</sup> प्रति बीघा प्रति माह	06 वर्ष	2,35,94,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	4,71,880	100 (05.08.2014)	4,71,780	प्रति दो वर्ष में किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि
2.	तदैव	मैसर्स बाला जी एसोशिएट, देहरादून	श्री बलवीर सिंह	1.6361 हेक्ट या 19.63 बीघा	20,000 प्रति बीघा प्रति वर्ष	25 वर्ष	23,56,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	47,120	100 (17.03.2015)	47,020	तदैव
3.	तदैव	तदैव	श्री गुरमीत सिंह	0.1066 हेक्ट या 1.28 बीघा	40,000 कुल क्षेत्रफल पर प्रतिवर्ष	05 वर्ष	1,20,000 (वार्षिक औसत किराया का तीन गुणा)	2,400	100 (11.05.2015)	2,300	तदैव
4.	तदैव	तदैव	श्री नरेन्द्र सिंह	0.1743 हेक्ट या 2.09 बीघा	20,000 प्रति बीघा प्रति वर्ष	05 वर्ष	1,26,000 (वार्षिक औसत किराया का तीन गुणा)	2,520	100 (22.05.2014)	2,420	तदैव
5.	जिला खनन अधिकारी, चमोली	मैसर्स न्यू ईरा आर्किटेचरल इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती कमला भट्ट पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण चमोली	श्री हर्षपति डिमरी पुत्र स्व0 श्री शिव चरन	0.013 हेक्ट	30,000 (कुल क्षेत्र पर प्रति वर्ष)	10 वर्ष	1,20,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,400	50 (10.06.2016)	2,350	तदैव
6.	तदैव	मैसर्स नन्दा कंस्ट्रक्शन विष्ट भवन चिंघराना, ग्राम एवं पोस्ट लाखी, तहसील घाट जिला चमोली	श्री रघुवीर सिंह बिष्ट	0.073 हेक्ट = 3.65 नाली	9,930 प्रति नाली प्रति वर्ष औसत वार्षिक किराया	30 वर्ष	2,18,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	4,360	100 (03.10.2014)	4,260	किराये में प्रति पांच वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि
7.	तदैव	तदैव	श्री नारायण सिंह बिष्ट	0.094 हे 4.7 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,81,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,620	100 (03.10.2014)	5,520	तदैव
8.	तदैव	तदैव	श्री प्रताप सिंह बिष्ट	0.096 हे 4.8 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,86,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,720	100 (03.10.2014)	5,620	तदैव
9.	तदैव	तदैव	श्री अवतार सिंह बिष्ट	0.033 हेक्ट 1.65 नाली	तदैव	30 वर्ष	99,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	1,980	100 (03.10.2014)	1,880	तदैव

<sup>8</sup> वार्षिक औसत किराया = (₹ 25,000 x 24 + ₹ 27,500 (दो वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि) x 24 + ₹ 30,250 (दो वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि) x 24)/72 माह = ₹ 27,583.33 प्रति माह।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्क्रीनिंग प्लॉट/स्टोन क्रेशर का नाम	भू-स्वामी का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (01 हेक्टर =12 बीघा या 50 नाली)	किराया (प्रति माह/प्रति वर्ष) (₹ में)	पट्टे की अवधि	मुआवजा मूल्य (अगले हजार में पूर्णांकित) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कालम 8 के मूल्य का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान दिया गया स्टाम्प शुल्क (₹ में) (भुगतान की तिथि)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (कॉलम 9- कॉलम 10)	12
10.	तदैव	तदैव	श्री मदन सिंह बिष्ट	0.60 हेक्टर 3 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,79,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	3,580	100 (03.10.2014)	3,480	तदैव
11.	तदैव	तदैव	श्री सुलभ सिंह बिष्ट	0.050 हेक्टर 2.50 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,49,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,980	100 (03.10.2014)	2,880	तदैव
12.	तदैव	तदैव	श्री गुलाब सिंह बिष्ट	0.085 हेक्टर 4.25 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,54,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,080	100 (03.10.2014)	4,980	तदैव
13.	तदैव	तदैव	श्री पून सिंह बिष्ट	0.050 हेक्टर 2.50 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,49,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,980	100 (03.10.2014)	2,880	तदैव
14.	तदैव	तदैव	श्री चितर सिंह बिष्ट	0.036 हेक्टर 1.8 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,08,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,160	100 (03.10.2014)	2,060	तदैव
15.	तदैव	तदैव	श्री बलवन्त सिंह बिष्ट	0.081 हेक्टर 4.05 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,42,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	4,840	100 (03.10.2014)	4,740	तदैव
16.	तदैव	मैसर्स अभुदय, उत्तराखण्ड कम्पनी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा द्वारा गांव सुनला, तहसील डाली, जिला चमोली	श्री माया राम पुत्र श्री बली राम	0.008 हेक्टर	20,000 प्रति 0.020 हेक्टर प्रति वर्ष (₹12,57,750 वार्षिक औसत किराया प्रति हेक्टर)	10 वर्ष	41,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	820	100 (07.02.2016)	720	किराये में पाँच प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष
17.	तदैव	तदैव	श्री नारायण दत्त	0.023 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	1,16,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,320	100 (07.02.2016)	2,220	तदैव
18.	तदैव	तदैव	श्री मदन मोहन	0.021 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	1,06,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,120	100 (07.02.2016)	2,020	तदैव
19.	तदैव	तदैव	श्री लक्ष्मी प्रसाद	0.080 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	4,03,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	8,060	100 (07.02.2016)	7,960	तदैव
20.	तदैव	तदैव	श्री गोपाल दत्त	0.133 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	6,70,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	13,400	100 (07.02.2016)	13,300	तदैव
21.	तदैव	तदैव	श्रीमती बसन्ती देवी	0.018 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	91,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	1,820	100 (07.02.2016)	1,720	तदैव
<b>योग</b>								<b>5,94,160</b>	<b>2,050</b>	<b>5,92,110</b>	

## परिशिष्ट-2.8.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 118)

दो पट्टा विलेखों के मामले में सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

क्रम सं.	इकाई का नाम	पट्टा धारक का नाम	वार्षिक पट्टा धनराशि	पट्टा अवधि	मुआवजा धनराशि (अगले हजार के पूर्णांक में) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कॉलम 6 की धनराशि का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान स्टाम्प शुल्क (भुगतान की तिथि) (₹ में)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (कॉलम 7 - कॉलम 8)
1.	जिला खनन अधिकारी, चमोली	श्री धन सिंह राणा पुत्र श्री लाल सिंह राणा, ग्राम एवं पोस्ट लाटा, तहसील जोशीमठ, जिला चमोली	73,33,333	04/2015 से 12/2016 (एक वर्ष और नौ माह)	2,20,00,000 (वार्षिक पट्टा धनराशि का तीन गुना)	4,40,000	1,46,700 (24.04.2015)	2,93,300
2.	तदैव	श्री हरीश सिंह भण्डारी पुत्र स्व श्री मुराली सिंह भण्डारी, ग्राम-वारागांव, तहसील जोशीमठ, जिला चमोली	1,80,00,000	02/2015 से 09/2016 (एक वर्ष और आठ माह)	5,40,00,000	10,80,000	5,60,000 (10.02.2015)	5,20,000
<b>योग</b>						<b>15,20,000</b>	<b>7,06,700</b>	<b>8,13,300</b>

परिशिष्ट-2.9.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.9; पृष्ठ 118)

खनिज के अवैध खनन/परिवहन के दोषी वाहन स्वामियों पर अर्थदण्ड के न्यूनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	वाहन संख्या	चालान संख्या एवं दिनांक	वाहन का प्रकार	अपराध की तिथि	दण्ड आरोपण की तिथि	देय अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का न्यूनारोपण
1.	आर जे 11 आर-1560	06, 08.08.2015	ट्रैक्टर	31.07.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
2.	यू के-07 सी ए-9468	0467, 10.08.2015	ट्रैक्टर	05.08.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
3.	यू के-07-सी सी-1928	221, 11.08.2015	डम्पर	02.08.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
4.	चेसिस नम्बर आर के बी बी-04600 एच ई	225, 11.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	11.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
5.	यू के-07 ए आर 9527	223, 11.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
6.	इन्जन संख्या आर के जेड 2852	397, 12.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
7.	यू के-07 ए एल 9681	395, 12.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
8.	यू ए-09 ए-5181	288, 12.08.2015	ट्रक	10.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
9.	इन्जन नंबर 431025 एस टी डी 06467	277, 13.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	14.08.15	2,00,000	25,000	1,75,000
10.	यू पी-07 डी 5377	239, 13.08.2015	ट्रैक्टर	10.08.2015	13.08.15	2,00,000	25,000	1,75,000
11.	इन्जन संख्या 431024 एस एस एन 18002	283, 13.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	13.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
12.	यू ए-07 जी-7894	322, 18.08.2015	ट्रक	10.08.2015	18.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
13.	यू पी-07 एफ 0991	61, 19.08.2015	ट्रैक्टर	16.08.2015	20.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
14.	यू के-07 सी सी 2064	356, 22.08.2015	डम्पर	19.08.2015	22.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
15.	यू के-07 सी सी 2128	357, 22.08.2015	डम्पर	19.08.2015	22.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
16.	यू ए-07 टी-0759	446, 24.08.2015	डम्पर	24.07.2015	13.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
17.	यू के-07 एन-3548	319, 21.08.2015	ट्रैक्टर	13.08.2015	21.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
<b>योग</b>								<b>29,75,000</b>



## परिशिष्ट-2.10.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 119)

## रॉयल्टी के न्यूनारोपण का विवरण

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति धारक का नाम/अनुज्ञप्ति की स्वीकृति तिथि	खनिज का प्रकार	घन मी में स्वीकृत मात्रा (रॉयल्टी जमा करने की तिथि)	स्वीकृत मात्रा (टन में) @ 2.2 टन प्रति घन मी	प्रति टन और प्रति घन मी दर (₹ में)	देय रॉयल्टी (₹ में)	भुगतान रॉयल्टी (₹ में)	रॉयल्टी का न्यूनारोपण (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री शरद अग्रवाल 01.03.2016	मिट्टी	6,242 (29.02.2016)	13,732.40	50 प्रति टन	6,86,620	49,936	6,36,684
2.	श्री पंकज नगलिया 03.03.2016	मिट्टी	6,203 (02.03.2016)	13,646.60	50 प्रति टन	6,82,330	49,624	6,32,706
3.	जी टी एम टावर ग्रुप हाउसिंग, मोहकमपुर 05.03.2016	मिट्टी	11,471 (05.03.2016)	25,236.20	50 प्रति टन	12,61,810	91,768	11,70,042
4.	श्री प्रदीप सिंह 08.03.2016	मिट्टी	1,200 (08.03.2016)	2,640.00	50 प्रति टन	1,32,000	9,600	1,22,400
5.	श्री घनश्याम गोदियाल 08.03.2016	आर बी एम	128 (08.03.2016)	128 (घन मी)	194.50 प्रति घन मी	24,896	11,520	13,376
6.	श्री अनुज अग्रवाल 09.03.2016	मिट्टी	4,731 (08.03.2016)	10,408.20	50 प्रति टन	5,20,410	37,848	4,82,562
7.	श्री दयाल सिंह 09.03.2016	मिट्टी	300 (10.03.2016)	660	50 प्रति टन	33,000	2,400	30,600
<b>उपयोग (अ)</b>								<b>30,88,370</b>

## परिशिष्ट-2.10.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 120)

## ईट भट्टा स्वामियों पर वर्ष 2015-16 तक देय रॉयल्टी का विवरण

क्रम सं.	ईट भट्टा का नाम	देय वार्षिक समाधान राशि (₹ में)	वर्ष जिसमें रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया	देय रॉयल्टी (₹ में)
1.	सिंघल ट्रेडर्स, बंशीवाला	76,200	2014-15	76,200
2.	अमर चन्द्र भट्ट एण्ड सन्स, पित्तुवाला	69,000	2014-15, 2015-16	1,38,000
3.	विकास ब्रिक फील्ड, मेहुवाला	78,000	2013-14	78,000
4.	राकेश ईट इकाई-I, सहारनपुर रोड	81,600	2012-13, 2014-15 और 2015-16	2,44,800
5.	राकेश ईट इकाई-II, सहारनपुर रोड	74,400	2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16	2,97,600
<b>उप-योग (ब)</b>				<b>8,34,600</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>				<b>39,22,970</b>

परिशिष्ट-3.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.9.2; पृष्ठ 127)

राज्य सरकार द्वारा सा क्षेत्र में किये गये निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं, को दर्शाने वाला विवरण

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम	वर्ष जिस तक लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश		
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क.	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ						
1.	उत्तराखण्ड सीड एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	4.08	2015-16	-	10.00	-
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	0.50	1994-95	-	-	-
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1986-87	0.50	1987-88	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड बहुद्वैतीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2006-07	21.33	2007-08	0.40	-	4.16
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2013-14	28.50	2014-15	-	100.00	-
6.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	2014-15	4.00	2015-16	-	-	-
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1999-2000	1.63	2000-01	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	0.35	1997-98	-	-	-

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	8.95	2014-15	-	8.00	-
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	17.99	2016-17	-	-	-
11.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	6.00	2016-17	-	-	-
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	1.07	2016-17	-	-	-
13.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	2006-07	-	-	-
14.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2007-08	5.76	2007-08	-	-	-
15.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2014-15	1.00	2015-16	-	-	-
16.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	5.55	--	0.50	-	3.00
<b>योग क (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)</b>			-	--	<b>0.90</b>	<b>118.00</b>	<b>7.16</b>
<b>ख.</b>	<b>कार्यरत सांविधिक निगम</b>						
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2,429.65	2016-17	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	238.60	2016-17	-	1.00	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2015-16	-	2016-17	-	-	-
<b>योग 'ख' (कार्यरत सांविधिक निगम)</b>			-	-	-	<b>1.00</b>	
<b>कुल योग (क + ख)</b>			-	-	<b>0.90</b>	<b>119.00</b>	<b>7.16</b>

परिशिष्ट-3.1.2

सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.1 एवं 3.1.12.1; पृष्ठ 121 एवं 128)

अपने अद्यतन अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

(स्तम्भ 5 से 12 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>												
<b>कृषि एवं समवर्गी</b>												
1.	उत्तराखण्ड सीड एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2016-17	4.08	12.50	(-)35.74	96.42	(-)26.71	गैर समीक्षा	23.01	0.02	281
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>4.08</b>	<b>12.50</b>	<b>(-)35.74</b>	<b>96.42</b>	<b>(-)26.71</b>	<b>--</b>	<b>23.01</b>		<b>281</b>
<b>वित्त</b>												
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	2012-13	0.50	2.85	(-) 0.63	0.54	0.07	(-)0.39	3.35	0.01	01
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1986-87	2002-03	0.50	-	(-) 0.04	0.10	(-) 0.01	-	0.50	0.0	-
4.	उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2016-17	21.33	5.65	0.50	1.79	0.50	(-)1.18	27.82	0.04	78
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>22.33</b>	<b>8.50</b>	<b>(-) 1.17</b>	<b>2.43</b>	<b>0.56</b>	<b>(-)1.57</b>	<b>31.67</b>		<b>79</b>
<b>अवसंरचना</b>												
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2013-14	2016-17	28.50	100.00	315.29	29.87	50.88	(-)0.14	538.13	0.06	20

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	2014-15	2016-17	4.00	5.00	1.38	43.57	2.52	गेर समीक्षा	10.38	0.30	100
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>32.50</b>	<b>105.00</b>	<b>316.67</b>	<b>73.44</b>	<b>53.40</b>	<b>(-)0.14</b>	<b>548.51</b>		<b>120</b>
<b>विनिर्माण</b>												
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1999-2000	2002-03	1.63	2.75	(-) 5.80	2.80	(-) 0.84	-	4.38	(-)0.19	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	1997-98	0.35	7.28	(-) 6.95	--	(-) 1.19	-	7.63	0.0	-
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0	2013-14	2016-17	8.95	-	(-)24.93	1.32	(-) 2.21	-	8.95	(-)0.25	11
10.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	6.00	147.23	(-) 316.88	72.66	(-) 36.04	(-)0.07	153.23	(-)0.07	608
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	17.99	132.94	(-)264.28	118.44	(-)29.14	0.51	150.93	0.22	514
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.07	-	0.01	0.07	0.01	(-)0.02	1.07	0.01	-
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>35.99</b>	<b>290.20</b>	<b>(-)618.83</b>	<b>195.29</b>	<b>(-)69.41</b>	<b>(-) 0.42</b>	<b>326.19</b>		<b>1,133</b>
<b>ऊर्जा</b>												
13.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,284.02	1404.17	(-) 2,339.50	5,009.55	(-)288.78	(-)2.21	2688.19	0.03	3,108
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,105.69	1,261.51	388.23	591.18	74.59	(-)2.18	2755.43	0.10	2,757
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2016-17	2017-18	458.05	726.78	106.08	282.48	39.17	--	1284.88	0.10	772
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>2,847.76</b>	<b>3,392.46</b>	<b>(-) 1,845.19</b>	<b>5,883.21</b>	<b>(-)175.02</b>	<b>(-) 4.39</b>	<b>6728.50</b>		<b>6,637</b>

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>सेवा</b>												
16.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	13.42	-	(-0.67)	100.49	(-1.51)	(-1.31)	13.78	0.07	1,004
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2016-17	5.76	19.27	4.97	128.07	(-1.38)	(-0.32)	42.66	0.14	1,600
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>19.18</b>	<b>19.27</b>	<b>4.30</b>	<b>228.56</b>	<b>(-2.89)</b>	<b>(-1.63)</b>	<b>56.44</b>		<b>2,604</b>
<b>विविध</b>												
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2014-15	2016-17	1.00	-	3.59	156.92	6.81	(-5.05)	46.68	0.06	-
19.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	--	--	5.55	1.85	--	--	--	--	7.40	0.0	04
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>6.55</b>	<b>1.85</b>	<b>3.59</b>	<b>156.92</b>	<b>6.81</b>	<b>(-5.05)</b>	<b>54.08</b>		<b>04</b>
<b>योग क (सभी क्षेत्रवार-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)</b>				<b>2,968.39</b>	<b>3,829.78</b>	<b>(-2,176.37)</b>	<b>6,636.27</b>	<b>(-213.26)</b>	<b>(-13.20)</b>	<b>7,768.40</b>		<b>10,858</b>
<b>ख. सांविधिक निगम</b>												
<b>अवसंरचना</b>												
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17	2,429.65	77.10	(-) 145.97	67.91	(-) 23.87	(-)9.04	2,506.75	(-)0.01	2,728
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>2,429.65</b>	<b>77.10</b>	<b>(-) 145.97</b>	<b>67.91</b>	<b>(-) 23.87</b>	<b>(-)9.04</b>	<b>2,506.75</b>		<b>2,728</b>
<b>सेवा</b>												
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2017-18	238.60	2.67	(-)415.66	309.12	(-)34.94	(-)6.73	241.27	(-)0.04	4,104
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>238.60</b>	<b>2.67</b>	<b>(-)415.66</b>	<b>309.12</b>	<b>(-)34.94</b>	<b>(-)6.73</b>	<b>241.27</b>		<b>4,104</b>
<b>विविध</b>												
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2015-16	2017-18	-	-	227.80	310.34	36.86	(-)86.95	337.55	0.03	3,003
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227.80</b>	<b>310.34</b>	<b>36.86</b>	<b>(-)86.95</b>	<b>337.55</b>	<b>-</b>	<b>3,003</b>
<b>योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)</b>				<b>2,668.25</b>	<b>79.77</b>	<b>(-)333.83</b>	<b>687.37</b>	<b>(-)21.95</b>	<b>(-)102.72</b>	<b>3085.57</b>		<b>9,835</b>

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>कुल योग (क + ख)</b>				5,636.64	3,909.55	(-)2,510.20	7,323.64	(-)235.21	(-)115.92	10,853.97		20,693
<b>ग अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>												
<b>कृषि एवं समवर्गी</b>												
1.	यू पी ए आई लिमिटेड <sup>9</sup>			0.17	-	(-) 0.05	-	-	-	0.17	-	
<b>क्षेत्रवार योग</b>				0.17	-	(-) 0.05	-	-	-	0.17	-	
<b>विनिर्माण</b>												
2.	कुम्हट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	1990-91	0.18		(-) 0.02		(-) 0.02		0.18	-	
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लि (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि की सहायक कम्पनी)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>क्षेत्रवार योग</b>				0.18		(-) 0.02		(-) 0.02		0.18		
<b>योग 'ग' (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)</b>				0.35	-	(-)0.07		(-)0.02		0.35		
<b>कुल योग (क +ख +ग)</b>				5,636.99	3,909.55	(-)2,510.27	7,323.64	(-)235.23	(-)115.92	10,854.32		20,693
नोट: गैर-कार्यरत सांविधिक निगमों के विवरण, यदि कोई हो, तो इसी तरह से जोड़ा जा सकता है												

@ नियोजित पूँजी की गणना में अंशधारियों का कोष एवं दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

<sup>9</sup> कम्पनी 31.03.1991 के बाद से परिसमापन के तहत।

परिशिष्ट-3.4.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 137)

परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णतः तिथि/विलंब	टिप्पणी
1.	जोशीयाड़ा छोर से 4.5 किमी तक बैराज इनटेक, अवसादन कक्ष, फोर बे, फलश पाइपलाइन तथा हेड रेस टनल (एच आर टी) का निर्माण	कॉन्टिनेन्टल कन्सट्रक्शन लिमिटेड	30.09.2005	15.02.2008/ (28.5 माह)	एच आर टी ग्राउंटिंग कार्य तथा निर्माण की अन्य गतिविधियों में परिहार्य विलंब हुआ। इसके अलावा कुल विलंब में से; जुलाई 2007 से फरवरी 2008 तक का विलंब (6.5 माह) निश्चित रूप से परिहार्य था। इस सम्बन्ध में, निगम ने यूईआरसी के समक्ष माना की स्टॉप गेट तथा रेडियल गेट का निर्माण एवं फोर-बे गेट निर्माण संबंधित विविध कार्य की गतिविधियों में देरी नियंत्रणीय थी।
2.	धनरिगाड मध्यवर्ती एडिट से एम बी-II एचईपी (4.5 किमी से 12 किमी) तक एच आर टी फेस II एवं III का निर्माण	मै. हाइडिल कन्सट्रक्शन कम्पनी (प्रा) लिमिटेड	31.10.2005	29.02.2008/ (29 माह)	एच आर टी फेस III (डाउन स्ट्रीम) का कार्य महत्वपूर्ण हो गया एवं कुल 29 माह का विलंब होने से समय ज्यादा लग गया। यद्यपि आरबीएम जोन के 8,580 तथा 8,640 फुट का स्तर प्राप्त करने के पश्चात भी फेस III का निरीक्षण 2.5 माह बाद किया गया, इसकी खुदाई, निरीक्षण के 12.5 माह बाद शुरू हुई। यदि फेस III की खुदाई शुरू करने में विलंब नहीं होता तो कार्य दिसम्बर 2006 तक पूरा हो गया होता।
3.	धरासू एडिट (12 किमी से 16 किमी) एच आर टी के शेष सिविल कार्य का निर्माण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	30.09.2005	15.02.2008/ (29.5 माह)	कुल खुदाई का कार्य 25,342 घन मी था जिसमें से 24,452 घन मी खुदाई शीर्ष से की जानी थी। पर्याप्त साजो-समान के साथ इस खुदाई के लिए 10 माह का समय उचित माना जाता है। अतिरिक्त डंपर्स का उपयोग करके मलवे के निपटान का अतिरिक्त समय कम किया जा सकता था। पर्याप्त संसाधन न जुटाने के कारण खुदाई कार्य में देरी हुई। अगर संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होती तो कार्य जून 2007 तक पूरा हो गया होता।
4.	धरासू पावर हाउस का निर्माण एवं सम्बन्धित कार्य	मै. श्रिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी	15.09.2005	15.03.2008/ (30.5 माह)	नियंत्रण कक्ष, द्वितीय चरण के कार्य और स्विचयार्ड के कार्य क्रमशः 09 माह, 10 माह एवं 06 माह की देरी से शुरू हुए, जिसने बिजली घर के समय पर पूरा होने को प्रभावित किया एवं काम के निष्पादन में 30.5 माह की देरी हुई।
5.	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड मै) का कार्य	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	25.01.2006	15.03.2008/ (25 माह)	इन कार्यों के संबंध में, भेल द्वारा की गई आपूर्ति का निर्माण कार्य मैसर्स श्रिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा निष्पादित सिविल कार्य पर निर्भर था और मैसर्स श्रिंग और बीएचईएल के बीच किसी भी संयुक्त सहमति विवरण के अभाव में कार्य में देरी के लिए उनके बीच जिम्मेदारियों का विभाजन संभव नहीं था। कार्य निष्पादन में 25 माह का विलंब हुआ।



## परिशिष्ट-3.4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 137)

यू ई आर सी द्वारा स्वीकृत राशि के सापेक्ष दावा की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दावा किया हुआ	अनुमति	कारण
पूँजीगत व्यय	1,494.70	1,494.70	यू ई आर सी ने परियोजना को चालू होने से पहले ठेकेदार को अन्तिम छः माह के लिए दिए गए मूल्य में परिवर्तन को नियंत्रणीय मानते हुए इसकी अनुमति नहीं दी।
मूल्य भिन्नता	00.00	(7.94)	
विवाद समाधान बोर्ड <sup>10</sup>	44.51	44.51	
<b>योग (अ)</b>	<b>1,539.21</b>	<b>1,531.27</b>	<b>7.94</b>
निर्माण के दौरान ब्याज	287.57	257.41	यूईआरसी ने परियोजना के चालू होने से पहले अन्तिम छः माह के लिए आईडीसी को नियंत्रणीय मानते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। राज्य सरकार के प्रत्याभूति शुल्क के देर से भुगतान के कारण निगम द्वारा दिये गये ₹ 18.81 करोड़ के अर्थदण्ड को भी अस्वीकृत किया गया।
अतिरिक्त प्रत्याभूति शुल्क देय	18.81	0.00	
प्रत्याभूति शुल्क	40.86	28.86	यू ई आर सी द्वारा ₹ 12 करोड़ की राशि अनुमोदित नहीं की गई क्योंकि भुगतान एम बी-11 परियोजना की कमीशनिंग तिथि के बाद किया गया था।
उत्तराखण्ड सरकार प्रदत्त ऋण पर ब्याज	5.04	5.04	-----
ए जी एस पी <sup>11</sup> का पुनः भुगतान	66.64	66.64	
<b>योग (ब)</b>	<b>418.92</b>	<b>357.95</b>	<b>60.97</b>
<b>कुल पूँजी लागत</b>	<b>1,958.13</b>	<b>1,889.22</b>	कुल दावे राशि ₹ 1,958.13 करोड़ में से, यू ई आर सी ने प्रत्याभूति शुल्क के देर से भुगतान पर आई डी सी, मूल्य परिवर्तन और जुर्माना को अस्वीकार किया। प्रत्याभूति शुल्क (₹ 12 करोड़) के भुगतान के संबंध में व्यय स्थगित किया गया था।

नोट: ₹ 3.72 करोड़ की राशि भी समायोजित की गई क्योंकि यह गलत तरीके से आर एंड एम खर्च में शामिल था।

<sup>10</sup> यह वाणिज्यिक ऑपरेशन दिनांक से पहले किए गए काम के लिए संविदात्मक भुगतान के लिए गठित किया गया था।<sup>11</sup> त्वरित जनरेशन और आपूर्ति कार्यक्रम।

परिशिष्ट-3.6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.4.1; पृष्ठ 141)

2014-15 से 2016-17 के दौरान नए कनेक्शन जारी करने में देरी के कारण यू ई आर सी द्वारा आरोपित किये गये अर्थदण्ड की राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों के नाम	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कनेक्शन में देरी के मामलों की संख्या	दंड की राशि (₹ लाख में)
1.	रुद्रपुर	25,254	1,412	88.88
2.	हल्द्वानी ग्रामीण	9,204	430	30.75
3.	टिहरी	12,413	487	6.07
4.	देहरादून ग्रामीण	11,481	2,278	85.61
5.	हरिद्वार शहरी	4,157	1,105	38.54
6.	हरिद्वार ग्रामीण	1,413	495	12.94
7.	काशीपुर	11,107	130	8.84
<b>योग</b>		<b>75,029</b>	<b>6,337</b>	<b>271.63</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

## परिशिष्ट-3.6.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.1; पृष्ठ 143)

ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा की बिक्री, ऊर्जा की हानि, स्वीकार्य हानि, वितरण में ऊर्जा की परिहार्य हानि और कुल परिहार्य हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	विवरण	वर्ष		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	अवधि के दौरान प्राप्त ऊर्जा	3,333.712	3,472.858	3,491.098
2.	ऊर्जा की बिक्री	2,434.086	2,614.213	2,674.423
3.	ऊर्जा का नुकसान (प्रतिशत में)	26.99	24.72	23.39
4.	ऊर्जा का नुकसान	899.626	858.645	816.675
5.	स्वीकार्य हानि (प्रतिशत में)	15.5	15	15
6.	स्वीकार्य हानि	516.725	520.929	523.665
7.	वितरण में ऊर्जा का परिहार्य हानि	382.901	337.716	293.01
8.	दर प्रति यूनिट के माध्यम से ऊर्जा की न्यूनतम लागत (घरेलू बीपीएल)	2.3	2.4	2.45
9.	<b>कुल परिहार्य हानि (₹ में)</b>	<b>88,06,72,300</b>	<b>81,05,18,400</b>	<b>71,78,74,500</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.2; पृष्ठ 143)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए चोरी/चोरी के कारण वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष 2014-15 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2014-15	56,102	72	14	9	4.15	2.87	1.28
2.	काशीपुर	2014-15	75,994	209	20	0	0.5	0.5	0
3.	रुद्रपुर	2014-15	84,978	214	214	212	77.462	21.84	55.62
4.	हल्दवानी शहरी	2014-15	40,931	54	33	24	11.82	0.93	10.89
5.	बाजपुर	2014-15	26,802	55	29	0	6.06	5.44	0.62
6.	सितारगंज	2014-15	72,884	43	36	36	13.79	5.33	8.46
7.	कोटद्वार	2014-15	90,143	150	72	4	28.83	28.83	0
8.	टिहरी	2014-15	77,613	110	102	96	10.24	4.31	5.93
9.	देहरादून दक्षिण	2014-15	77,613	63	59	16	25.83	15.01	10.82
10.	देहरादून ग्रामीण	2014-15	79,944	49	31	7	5.87	5.87	0
11.	रुड़की शहरी	2014-15	84,281	446	240	359	67.06	56.39	10.63
12.	रुड़की ग्रामीण	2014-15	72,236	67	65	65	10.8	10.8	0
13.	हरिद्वार शहरी	2014-15	74,819	103	40	40	24.43	23.57	0.86
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2014-15	31,106	101	97	97	26.07	17.47	8.6
योग			9,45,446	1,736	1,052	965	312.912	199.16	113.71
वर्ष 2015-16 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2015-16	57,334	608	27	15	7.29	6.87	0.42
2.	काशीपुर	2015-16	50,688	391	39	20	21.05	11.36	9.69
3.	रुद्रपुर	2015-16	95,350	257	253	238	118.91	63.21	55.7
4.	हल्दवानी शहरी	2015-16	43,243	152	112	77	28.67	19.32	9.35
5.	बाजपुर	2015-16	29,275	913	191	126	51.53	36.24	15.29
6.	सितारगंज	2015-16	82,898	210	176	176	39.3	35.08	4.22
7.	कोटद्वार	2015-16	93,634	405	323	4	71.73	71.73	0
8.	टिहरी	2015-16	79,370	428	377	296	34.03	18.48	15.55
9.	देहरादून दक्षिण	2015-16	79,370	35	16	12	8.36	7.46	0.9
10.	देहरादून ग्रामीण	2015-16	87,281	60	35	30	11.12	11.12	0
11.	रुड़की शहरी	2015-16	89,604	1,015	300	290	121.41	71.49	49.92
12.	रुड़की ग्रामीण	2015-16	80,960	98	84	84	17.82	12.13	5.69
13.	हरिद्वार शहरी	2015-16	77,718	565	91	80	72.37	64.34	8.03
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2015-16	35,361	188	160	160	32.99	24.48	8.51
योग			9,82,086	5,325	2,184	1,608	636.58	453.31	183.27
वर्ष 2016-17 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2016-17	67,080	782	51	50	7.93	7.63	0.3
2.	काशीपुर	2016-17	51,444	395	95	67	48.96	17.16	31.8
3.	रुद्रपुर	2016-17	1,00,021	606	605	596	183.3	111.7	71.6
4.	हल्दवानी शहरी	2016-17	45,136	239	135	37	40.52	39.52	1
5.	बाजपुर	2016-17	31,002	172	55	15	16.39	2.82	13.57
6.	सितारगंज	2016-17	84,850	317	314	314	51.66	37.8	13.86
7.	कोटद्वार	2016-17	96,189	403	319	26	61.51	61.51	0
8.	टिहरी	2016-17	83,319	83	73	46	7.12	6.73	0.39
9.	देहरादून दक्षिण	2016-17	77,637	9	3	3	2.68	1.03	1.65
10.	देहरादून ग्रामीण	2016-17	92,355	13	13	3	4.11	3.43	0.68
11.	रुड़की शहरी	2016-17	1,04,468	569	236	212	73.1	43.05	30.05
12.	रुड़की ग्रामीण	2016-17	86,788	120	111	111	26.14	18.51	7.63
13.	हरिद्वार शहरी	2016-17	80,390	317	114	106	45.66	37.66	8
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2016-17	38,448	220	207	207	41.86	36.85	5.05
योग			10,39,127	4,245	2,331	1,793	610.94	425.4	185.58

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

## परिशिष्ट-3.6.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.3; पृष्ठ 144)

## डी टी आर मीटरिंग की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	खण्ड का नाम	स्थापित किया गया मापक/मोडम	संवादात्मक (प्रतिशतता)	गैर संवादात्मक (प्रतिशतता)
1.	सितारगंज	सितारगंज खटीमा	72 51	42(58.33) 50(98)	30(41.67) 1(2)
2.	हल्द्वानी	हल्द्वानी	309	140(45.31)	169(54.69)
3.	कोटद्वार	कोटद्वार	111	34(30.63)	77(69.37)
4.	देहरादून ग्रामीण	डिफेन्स कॉलोनी और एम डी डी ए कॉलोनी	30	18(60)	12(40)
<b>योग</b>			<b>573</b>	<b>284(49.56)</b>	<b>289(50.44)</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.6.3; पृष्ठ 146)

के सी सी उपभोक्ताओं के एम आर आई करने योग्य और एम आर आई किये हुए को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों का नाम	एम आर आई करने योग्य			एम आर आई किया हुआ		
		मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17
1.	रुद्रपुर	2,046	2,103	2,158	1,371(67)	1,423(68)	1,499(69)
2.	हल्द्वानी शहरी	457	487	505	83(18)	106(22)	107(21)
3.	रुड़की ग्रामीण	725	725	725	489(67)	518(71)	549(76)
4.	रुड़की शहरी	836	1,139	1,187	669(80)	669(59)	522(44)
5.	बाजपुर	476	497	537	193(41)	201(40)	217(40)
<b>योग</b>		<b>4,540</b>	<b>4,951</b>	<b>5,112</b>	<b>2,805(62)</b>	<b>2,917(59)</b>	<b>2,894(57)</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

## परिशिष्ट-3.6.6

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.6.4; पृष्ठ 146)

मार्च 2017 को के सी सी उपभोक्ताओं के संबंध में ए एम आर या मैनुअल के माध्यम से मीटर रीडिंग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों का नाम	के सी सी की कुल संख्या	ए एम आर के माध्यम से मीटर रीडिंग	मैनुअल रूप से
1.	रुद्रपुर	2,158	390	1,768
2.	हल्द्वानी शहरी	505	78	427
3.	बाजपुर	537	68	469
4.	सितारगंज	877	108	769
5.	कोटद्वार	666	43	623
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	635	128	507
7.	टिहरी	769	71	698
8.	देहरादून ग्रामीण	1,064	332	732
9.	रुड़की शहरी	1,193	123	1,070
10.	रुड़की ग्रामीण	1,194	292	902
11.	हरिद्वार शहरी	1,223	323	900
12.	हरिद्वार ग्रामीण	1,328	429	899
<b>योग</b>		<b>12,149</b>	<b>2,385</b>	<b>9,764</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.7

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.7.1; पृष्ठ 147)

मार्च 2017 के अनुसार प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि न जमा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	रुद्रपुर	412	78.88
2.	हल्द्वानी शहरी	48	9.82
3.	बाजपुर	17	1.67
4.	सितारगंज	24	5.31
5.	कोटद्वार	7	3.70
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	11	2.26
7.	टिहरी	55	55.69
8.	देहरादून ग्रामीण	8	15.81
9.	देहरादून दक्षिण	31	5.72
10.	काशीपुर	46	11.83
11.	रुड़की शहरी	7	0.95
12.	हरिद्वार शहरी	26	7.68
13.	रुड़की ग्रामीण	14	3.00
14.	हरिद्वार ग्रामीण	94	38.58
<b>योग</b>		<b>800</b>	<b>240.90</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।



## परिशिष्ट-3.6.8

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.8.1; पृष्ठ 149)

2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान जारी किये गये, वसूल किये गये, लौटाये गये और वसूली के लिए लंबित आर सी के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 2014-15 के लिए

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2014 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,413	9,994.90
2.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	101	33.32
3.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	31	5.76
4.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	207	78.27
5.	31.03.2015 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	11,276	9,944.19

वर्ष 2015-16 के लिए

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2015 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,276	9,944.19
2.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	190	55.39
3.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	24	19.74
4.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	35	2.5
5.	31.03.2016 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	11,407	9,977.34

वर्ष 2016-17 के लिए

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2016 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,407	9,977.34
2.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	2,685	4,265.53
3.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	451	103.91
4.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	899	2,175.45
5.	31.03.2017 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	12,742	11,963.51

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.9

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.8.3; पृष्ठ 149)

के सी सी उपभोक्ताओं (आर टी एस-2 एवं 7) के संबंध में मार्च 2017 तक वांछित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	वांछित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा (₹ करोड़ में)
1.	रुद्रपुर	151	11.67
2.	हल्द्वानी शहरी	192	0.97
3.	बाजपुर	79	1.73
4.	सितारगंज	179	3.71
5.	कोटद्वार	135	2.62
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	127	1.21
7.	टिहरी	272	2.82
8.	देहरादून ग्रामीण	457	5.26
9.	देहरादून दक्षिण	311	1.65
10.	काशीपुर	22	4.16
11.	रुड़की शहरी	347	2.64
12.	हरिद्वार शहरी	380	1.99
13.	हरिद्वार ग्रामीण	772	15.15
14.	रुड़की ग्रामीण	7	1.95
<b>योग</b>		<b>3,431</b>	<b>57.53</b>

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।